SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

लेखे एक दृष्टि में

2023-24

हरियाणा सरकार

लेखे एक दृष्टि में
2023-24

प्रधान महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी)
हरियाणा

प्रस्तावना

वर्ष 2023-24 के 'लेखे एक दृष्टि में' के हमारे इस वार्षिक प्रकाशन के छब्बीसवें संस्करण को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है जो सरकारी कार्यकलापों जैसा कि वित्त लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं में प्रदर्शित हैं, को व्यापक अधिदृष्टि प्रदान करता है।

वित्त लेखे, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा की संक्षिप्त विवरणियां हैं। विनियोग लेखे राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित किए गए प्रावधानों के अन्तर्गत अनुदानवार व्यय को दर्शाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रदत्त-निधियों के बीच अन्तरों की व्याख्या करते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुरूप, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के दिशा-निर्देशों के अधीन, मेरे कार्यालय द्वारा वार्षिक वित्त तथा विनियोग लेखाओं को राज्य-विधायिका के पटल पर रखे जाने हेतु तैयार किया जाता है।

हमें पाठकों की प्रतिक्रिया, जिस से संस्करण को उत्कृष्ट बनाने में सहायता मिलेगी, की प्रतीक्षा रहेगी।

दिनांकः 17 जनवरी 2025
स्थानः चण्डीगढ़

(नवनीत गुप्ता)
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
हरियाणा

विजन, मिशन और आधारभूत मूल्य

विजन

(हमारा विजन हमारी भावी अभिलाषा को दर्शाता है)

हम लोक संसाधनों पर स्वतंत्र और विश्वसनीय आश्वासन देते रहें और सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण में सार्वभौम लीडर बने।

मिशन

(हमारा मिशन हमारी वर्तमान भूमिका के बारे में जानकारी देता है और यह बताता है कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं।)

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, हम उच्च गुणवत्ता के लेखापरीक्षण और लेखाकरण के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देते हैं और अपने विधानमंडल, आम जनता और कर्यपालिका को इस संबंध में स्वतंत्र और समयोचित आश्वासन देते है कि सार्वजनिक धन का प्रभावपूर्ण तरीके और कुशलता से संग्रहण एवं उपयोग किया जा रहा है।

आधारभूत मूल्य

(हमारे आधारभूत मूल्य वह मौलिक विश्वास हैं जो हमारी संस्था तथा हमारे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं।)

- **संस्थागत मूल्यः**
  व्यावसायिक (प्रोफेशनल) मानकों, निष्पक्ष एवं संतुलित दृष्टिकोण, स्वतंत्रता तथा पारदर्शिता को बनाए रखना।
- **जन मूल्यः**
  नैतिक व्यवहार, सत्यानिष्ठा, व्यावसायिक सक्षमता, निष्पक्षता तथा सामाजिक जागरूकता।

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

अध्याय I	**अधिदृष्टि**	
1.1	भूमिका	1
1.2	सरकारी लेखाओं की संरचना	2
1.3	वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे	4
1.4	निधियों के स्त्रोत एवं अनुप्रयोग	6
1.5	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005	9
अध्याय II	**प्राप्तियाँ**	
2.1	भूमिका	12
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	12
2.3	कर-राजस्व	14
2.4	कर संग्रहण पर लागत	16
2.5	संघीय करों में राज्य के अंश में पिछले पाँच वर्षों के रूझान	17
2.6	सहायतानुदान	17
2.7	लोक ऋण	18
अध्याय III	**व्यय**	
3.1	भूमिका	19
3.2	राजस्व व्यय	19
3.3	पूंजीगत व्यय	24
अध्याय IV	**विनियोग लेखे**	
4.1	वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखाओं का सारांश	26
4.2	विगत पाँच वर्षों मे बचत/आधिक्य के रूझान	26
4.3	महत्वपूर्ण बचतें	27

पृष्ठ संख्या

अध्याय V **परिसम्पत्तियाँ तथा दायित्व**

5.1 परिसम्पत्तियाँ 30
5.2 ऋण तथा दायित्व 31
5.3 गारंटियाँ 32
5.4 राज्य सरकार की बजट से बाहर की देयताएं 32

अध्याय VI **अन्य मदें**

6.1 आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष 33
6.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम 33
6.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तिय सहायता 33
6.4 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश 35
6.5 प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान 35
6.6 लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों द्वारा लेखों का प्रेषण 35
6.7 असमायोजित सार आकस्मिकता (ए.सी.) बिल 36
6.8 उचंत तथा प्रेषण शेष 36
6.9 सहायतानुदान के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू. सी.) 36
6.10 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) 37
6.11 व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खातों को धन का हस्तांतरण 37
6.12 आरक्षित निधियों की स्थिति 37

अध्याय-I

अधिदृष्टि

1.1 भूमिका

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा, विभिन्न अभिकरणों द्वारा प्रेषित लेखा सामग्री को संग्रहित, वर्गीकृत एवं संकलित करके हरियाणा सरकार के लेखे तैयार करने का कार्य करता है। यह संकलन, 24 कोषालयों, 117 लोक निर्माण मण्डलों (59 भवन तथा सडकें, 58 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी), 86 सिंचाई मण्डलों, 40 वन मण्डलों, 38 वेतन एवं लेखा कार्यालयों* द्वारा प्रेषित किए गए प्रारंभिक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रेषित संज्ञापनों से किया जाता है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा हरियाणा सरकार के समक्ष प्रतिमाह एक मासिक सिविल लेखा प्रस्तुत किया जाता है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) वार्षिक वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे भी तैयार करता है जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा द्वारा लेखा परीक्षण करने तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किए जाने के पश्चात, राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाता है।

*अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के पेंशन लाभ एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर योगदान आदि से संबंधित है।

1.2 सरकारी लेखाओं की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है:

सरकारी लेखाओं की संरचना

भाग-I
समेकित निधि

कर तथा गैर-कर राजस्वों सहित सरकार के सभी राजस्व, उठाऐ गये ऋण एवं दिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान (उन पर ब्याज सहित) समेकित निधि में जमा होते हैं।

प्रदत्त ऋण तथा लिए गए ऋणों की वापसी (ब्याज सहित) सहित सरकार के समस्त व्ययों तथा संवितरणों को इस निधि से वहन किया जाता है।

भाग-II
आकस्मिकता निधि

आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय स्वरूप की है जिसे अप्रत्याशित-व्यय की पूर्ति हेतु राज्यपाल के अधिकार में रखा गया है। निधि की प्रतिपूर्ति, बाद में, इस प्रकार के व्यय को भाग-I में दिए सम्बन्धित मुख्य शीर्ष को नामे करके की जाती है।

हरियाणा सरकार की इस निधि हेतु कायिक-राशि ₹ 1,000.00 करोड़ है।

भाग-III
लोक लेखा

सरकार द्वारा अथवा सरकार के पक्ष में प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जहाँ सरकार एक बैंकर अथवा न्यासी की भूमिका निभाती है (जिनके सम्बन्ध में सरकार धन वापिस देने का दायित्व लेती है या भुगतान की गई राशियों को वसूल करने का दावा कर सकती है) लोक लेखा में जमा होते हैं। लोक लेखा में ऋण (भाग-I में शामिल ऋणों के अलावा), जमा, अग्रिम, प्रेषण तथा उचंत शीर्षों से सम्बन्धित लेन-देन सम्मिलित हैं। इन शीर्षों में प्रारंभिक नामे व जमा का निपटान, बाद में उसी या किसी दूसरे लेखा परिमण्डल में सदृश प्राप्ति या अदायगी के द्वारा अथवा लेखों के अंतिम शीर्षों में दर्ज करके किया जाता है।

1.2.2 लेखाओं का संकलन

लेखे संकलन हेतु प्रवाह आरेख

आगत

कोषालयों से प्राप्त मासिक लेखे (भुगतानों की सूची, भुगतानों की अनुसूची, वाउचर, नकद लेखे, प्राप्तियों की अनुसूची) लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मण्डलों, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मण्डलों, सिंचाई मण्डलों तथा वन मण्डलों से प्राप्त मासिक लेखे

वेतन एवं लेखा कार्यालयों, अन्य महालेखाकारों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आवक/जावक समायोजन लेखे, समाशोधन ज्ञापन

राज्य वित्त विभाग से प्राप्त बजट आंकड़े

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय

- संकलित आंकड़ो की विधिमान्यता
- बजट दस्तावेजों की विधिमान्यता तथा निधियों के पुनर्विनियोजन एवं अभ्यर्पण की सूचना

प्रक्रियान्वयन

निर्गत

वार्षिक वित्त तथा विनियोग लेखे

लेखे एक दृष्टि में

मासिक सिविल लेखे

मासिक विनियोग लेखे

प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रतिवेदन, व्यय का प्रतिवेदन तथा त्रैमासिक मूल्यांकन टिप्पणी

1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखाओं में, लेखाओं में अभिलेखित, राजस्व तथा पूँजीगत लेखाओं, लोक ऋण तथा लोक-लेखा शेषों द्वारा उजागर वित्तीय परिणामों के साथ-साथ, उस वर्ष में सरकार की प्राप्तियाँ तथा संवितरण इंगित किये जाते हैं। वित्त लेखे को दो खण्डों में तैयार किया जाता है। वित्त लेखे के खण्ड-I में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, वित्त लेखाओं की मार्गदर्शिका, चालू वित्त वर्ष की सकल वित्तीय स्थिति/प्राप्तियों तथा संवितरणों की 13 संक्षिप्त विवरणियाँ एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों, लेखाओं तथा अन्य मदों की गुणवत्ता को समाहित करती 'वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ' सम्मिलित हैं। खण्ड-II में, 9 विस्तृत विवरणियाँ (भाग- I) तथा 13 परिशिष्ट (भाग- II) सम्मिलित हैं।

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने हेतु, राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों/गैर सरकारी संगठनों को पर्याप्त निधियों का प्रत्यक्ष रूप से अन्तरण करती है। महालेखानियंत्रक के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत सरकार ने, हरियाणा के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे तौर पर ₹ 15,374 करोड़ की राशि जारी की। क्योंकि ये निधियाँ राज्य सरकार के बजट के माध्यम से नहीं आई, इन्हें राज्य सरकार के लेखाओं में नहीं दर्शाया गया है। इन अन्तरणों को वित्त लेखे के खण्ड- II के परिशिष्ट- VI में प्रदर्शित किया गया है।

1.3.2 वर्ष 2023-24 की वित्तीय झलकियाँ

वर्ष 2023-24 के वास्तविक वित्तीय परिणामों तथा बजट अनुमानों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

क्रम संख्या	घटक	बजट अनुमान (₹ करोड़ में)	वास्तविक आंकड़े (₹ करोड़ में)	वास्तविक आंकड़ों की बजट अनुमानों से प्रतिशतता	वास्तविक आंकड़ों की जी.एस.डी.पी. से प्रतिशतता #
1.	कर राजस्व (संघीय भाग सहित) (क)	86,881	84,856	98	8
2.	गैर कर राजस्व	12,651	8,103	64	1
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	9,590	8,355	87	1
4.	*राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)*	1,09,122	1,01,314(ग)	93	9
5.	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	1,133	301	27	..*
6.	अन्य प्राप्तियाँ	5,200	115	2	..*
7.	उधारी एवं अन्य दायित्व (ख)	30,635	31,441	103	3
8.	*पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)*	36,968	31,857	86	3
9.	*कुल प्राप्तियाँ (4+8)*	1,46,090	1,33,171(ग)	91	12
10.	*राजस्व व्यय*	1,34,112	1,13,196	84	10
11.	ब्याज अदायगियों पर व्यय (राजस्व व्यय में से)	22,250	21,605	97	2
12.	*पूँजीगत व्यय*	23,007	15,921	69	1
13.	*ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण*	5,155	4,055	79	..*
14.	*कुल व्यय (10+12+13)*	1,62,274	1,33,172	82	12
15.	*राजस्व आधिक्य (+)/ घाटा (-) (4-10)*	(-)24,990	(-)11,882(ग)	48	1
16.	*राजकोषीय घाटा (4+5+6-14)*	(-)46,819	(-)31,442(ग)	67	3
17.	*प्राथमिक घाटा (11+16)*	(-)24,569	(-)9,837(ग)	40	1

(क) इसमें राज्य सरकार को नियत ₹ 12,345 करोड़ का निवल (कर) प्राप्तियों का भाग शामिल है (राज्य सरकार की अपनी कर प्राप्तियाँ ₹ 72,511 करोड़ थी जो कि जी. एस. डी. पी. का 7 प्रतिशत थी)।

(ख) उधारी तथा अन्य दायित्वः लोक ऋण की निवल राशि (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल आकस्मिकता निधि + लोक लेखा की निवल राशि (प्राप्तियाँ - संवितरण) + रोकड़ के आरंभिक व अंतिम शेष का निवल।

(ग) वास्तविक से ₹ 1 करोड़ का अंतर पूर्णांकन के कारण है।

 # सकल राज्य घरेलु उत्पाद आंकड़े (₹ 10,95,535 करोड़) वर्तमान दरों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा सरकार से लिए गये हैं तथा यह आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

** प्रतिशतता न के बराबर है इसलिए इसे .. से दर्शाया गया है।*

वर्ष 2023-24 की प्राप्तियाँ व संवितरण

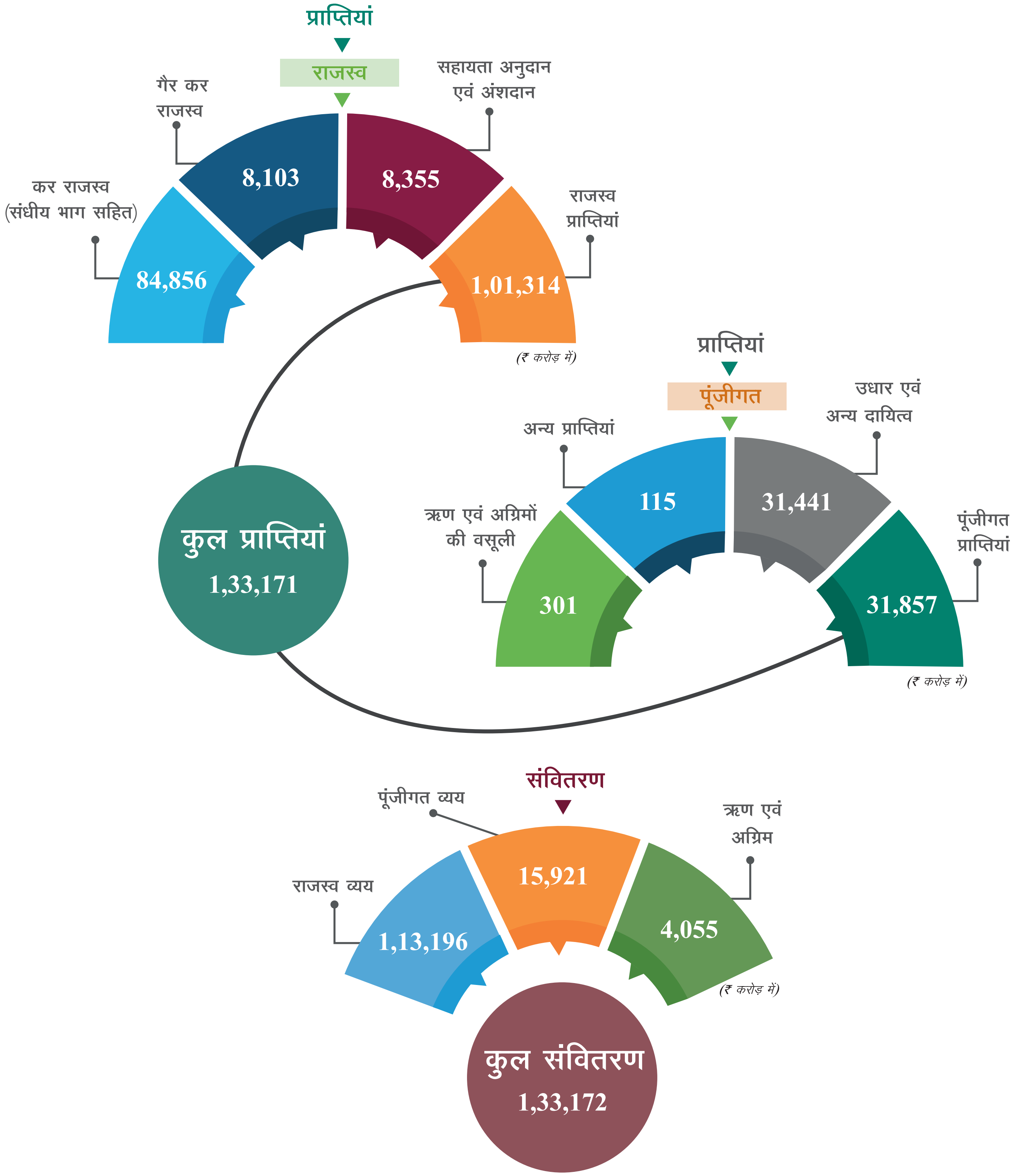

1.3.3 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, वित्त लेखों के अनुपूरक हैं तथा अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों के प्रति व्यय की तुलना प्रस्तुत करते हैं। समेकित निधि से, भारत के संविधान में निहित विधि एवं उद्देश्य तथा विधान मण्डल के प्राधिकरण के अतिरिक्त, कोई धन आहरित नहीं किया जा सकता। कुछ व्यय (जैसे संवैधानिक अधिकारियों के वेतन, ऋणों की पुनर्दायगियों इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर भारित (भारित व्यय) होते हैं एवं विधान मण्डल के अनुमोदन के विषय नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधान मण्डल द्वारा पारित किए जाते हैं। हरियाणा के बजट में 20 दत्तमत अनुदान/ प्रभारित विनियोजन हैं।

1.3.4 बजट अनुमानों की कार्य कुशलता

वर्ष के अन्त में, विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट के मुकाबले हरियाणा सरकार के वास्तविक व्यय के अन्तर्गत, ₹ 33,470.80 करोड़ (₹ 2,36,560.09 करोड़ के बजट अनुमानों का 14.15 *प्रतिशत*) की सकल बचत दर्शायी गई। इसके अलावा, लेखों में व्यय की कटौती में समायोजित की गई वसूलियां भी ₹ 6,415.69 करोड़ (₹ 17,138.92 करोड़ के बजट अनुमानों का 37.43 प्रतिशत) अधिक अनुमानित थी। शहरी विकास (नगर तथा ग्राम आयोजना/ शहरी सम्पदा)/ स्थानीय सरकार (शहरी स्थानीय निकाय/ अग्निशमन सेवाएं)/ ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/ विकास और पंचायत)/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शिक्षा (उच्च/ माध्यमिक/ प्राथमिक)/ तकनीकी शिक्षा/ महिला तथा बाल विकास, खान एवं भूविज्ञान/ कृषि/ बागवानी/ पशुपालन तथा डेयरी विकास/ मछली पालन/ वन तथा वन्य प्राणी/ पारिस्थितिकी विज्ञान एवं पर्यावरण, सिंचाई/ उद्योग और वाणिज्य/ एमएसएमई/ पूर्ति तथा निपटान/ विद्युत और नवीनकरणीय ऊर्जा/ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भवन एवं सड़कें/ परिवहन/ नगर विमानन तथा खाद्य एवं आपूर्ति/ सहकारिता से सम्बन्धित कुछ अनुदानों के अन्तर्गत प्रचुर बचतें प्रदर्शित की गई हैं। (पैरा 4.3 देखें)

1.4 निधियों के स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले अपेक्षित न्यूनतम रोकड़ शेष (₹ 1.14 करोड़) में कमी को पूरा करके तरलता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम लिए जाते हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, हरियाणा सरकार ने ₹ 25,994.12 करोड़ की राशि (सत्तानवे बार) अर्थोपाय अग्रिम के तौर पर ली हालांकि इसे वर्ष के दौरान वापिस कर दिया, अतः वर्ष के अन्त में शेष शून्य था।

1.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले अपेक्षित न्यूनतम रोकड़ शेष (₹ 1.14 करोड़) में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम (₹ 1,464 करोड़ तक) लेने के बावजूद यदि कमी बनी रहती है तो भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष लिया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य ने कोई अधिविकर्ष नहीं लिया।

1.4.3 निधि प्रवाह विवरणी

वर्ष 2023-24 में राज्य का राजस्व-घाटा ₹ 11,881 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा ₹ 31,441 करोड़ था। राजकोषीय घाटे की पूर्ति, निवल लोक ऋण (₹ 29,527 करोड़), लोक लेखा में बढौतरी (₹ 3,550 करोड़) तथा आकस्मिकता निधि से निकासी (-) ₹ 546 करोड़ और नगद शेष में बढ़ोत्तरी (-) ₹ 1,090 करोड़ द्वारा की गई। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,01,315 करोड़) का लगभग 61 *प्रतिशत,* वेतन (₹ 27,168 करोड़) ब्याज-अदायगियाँ (₹ 21,605 करोड़) तथा पेंशन (₹ 13,497 करोड़) जैसे प्रतिबद्ध-व्ययों पर खर्च हुआ।

निधियों के स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

स्त्रोत

विवरण	राशि
01 अप्रैल 2023 को आरंभिक रोकड़ शेष	(-)716
राजस्व प्राप्तियाँ	1,01,315
पूँजीगत प्राप्तियाँ	115
ऋणों व अग्रिमों की वसूली	301
लोक ऋण	88,721
लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	3,484
आरक्षित तथा निक्षेप निधियाँ	2,523
जमा प्राप्तियाँ	57,884
सिविल अग्रिमों का पुनर्भुगतान	..
उचन्त लेखे	64,993*
प्रेषण	12,361
आकस्मिकता निधि	..
जोड़	3,30,981**

अनुप्रयोग

विवरण	राशि
राजस्व व्यय	1,13,196
पूँजीगत व्यय	15,921
प्रदत्त ऋण	4,055
लोक ऋणों का पुनर्भुगतान	59,194
आकस्मिकता निधि को विनियोजन	546
लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	3,386
आरक्षित तथा निक्षेप निधियाँ	1,096
जमा का पुनर्भुगतान	55,437
प्रदत्त सिविल अग्रिम	..
उचन्त लेखे	65,400***
प्रेषण	12,377
31 मार्च 2024 को अन्तिम रोकड़ शेष	374
जोड़	3,30,982

*Ctrl ₹ 63,135 करोड़ रोकड़ शेष निवेश लेखा के लेन देन सम्मिलित है।

** जोड़ से ₹ 1 करोड़ का अन्तर पूर्णांकन के कारण है।

*** ₹ 63,098 करोड़ रोकड़ शेष निवेश लेखा के लेन देन सम्मिलित है।

1.4.4 ₹ कहाँ से आया ?

वास्तविक प्राप्तियाँ

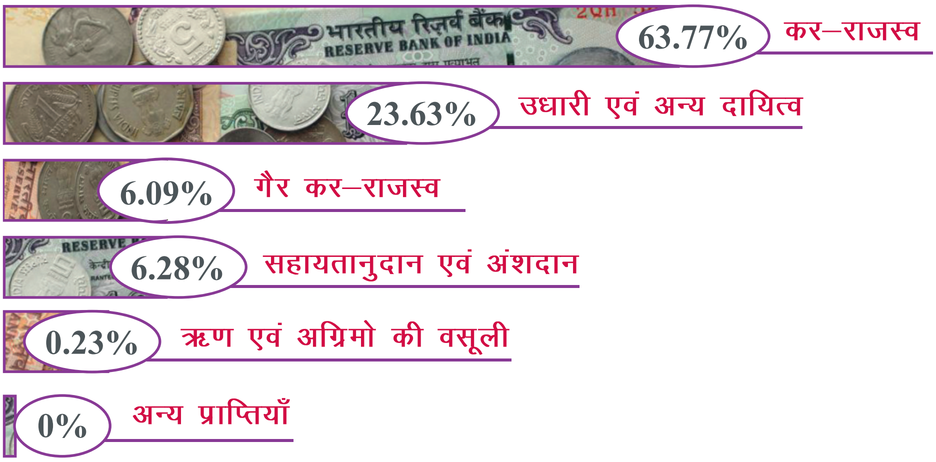

(अन्य प्राप्तियों की राशि न के बराबर थी अतः शून्य दर्शायी गयी है)

1.4.5 ₹ कहाँ गया ?

वास्तविक व्यय

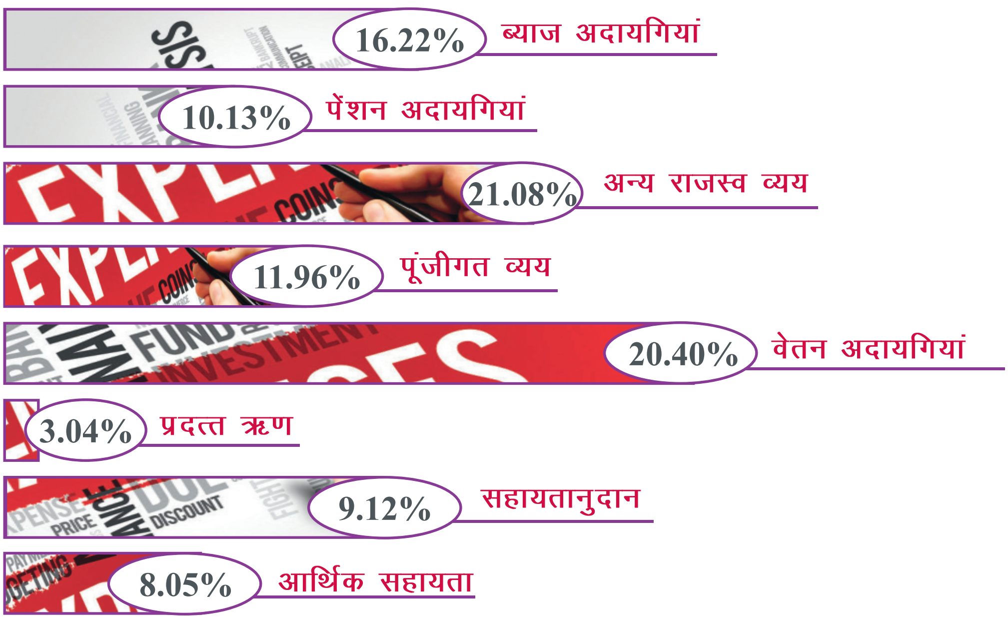

वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 11,881 करोड़ का राजस्व घाटा (वर्ष 2022-23 में ₹ 17,211 करोड़) तथा ₹ 31,441 करोड़ का राजकोषीय घाटा (वर्ष 2022-23 में ₹ 31,026 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 1.08 *प्रतिशत* तथा 2.87 *प्रतिशत* है। राजकोषीय घाटा सकल व्यय का 23.61 *प्रतिशत* रहा।

घाटा तथा आधिक्य क्या इंगित करते हैं ?

घाटा

राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। घाटे का स्वरूप, घाटा वित्त पोषण कैसे हो तथा निधियों का अनुप्रयोग वित्तीय-प्रबन्धन में दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण संकेतक है।

राजस्व घाटा / आधिक्य

राजस्व प्राप्तियाँ तथा राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। राजस्व व्यय की आवश्यकता सरकार की वर्तमान स्थापना के रख-रखाव हेतु होती है तथा आदर्श स्वरूप, इसे राजस्व प्राप्तियों से ही पूर्णतया वहन किया जाना चाहिये।

राजकोषीय घाटा /आधिक्य

सकल प्राप्तियों (उधारियों के बिना) तथा सकल व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। इसलिए, यह अन्तर इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्त-पोषित किया गया और आदर्श स्वरूप इसे पूँजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए।

1.5 राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005

घाटा संकेतक, राजस्व संवर्धन तथा व्यय प्रबंधन सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन का आंकलन करने के मुख्य मापदण्ड हैं। हरियाणा सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 को लागू किया है। हरियाणा एफ.आर.बी.एम. (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अनुसार राज्य सरकार केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उस विशेष वर्ष में प्रचलित जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित लक्ष्य तथा लेखों में दर्शाए अनुसार, वर्ष 2023-24 में उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं :

क्रम संख्या	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक (₹ करोड़ में)	जी.एस.डी.पी. का अनुपात*	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	राजस्व आधिक्य (+)/ घाटा (-)	(-) 11,881	(+) 1.20	(-) 1.08 (लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ)
2	राजकोषीय घाटा	31,441	3.00 या कम	2.87 (लक्ष्य प्राप्त किया गया)
3	परादेय ऋण**	3,26,622	30.90 या कम	29.81 (लक्ष्य प्राप्त किया गया)

* *सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े (₹ 10,95,535 करोड़) वर्तमान दरों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा सरकार से लिए गये तथा यह आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।*

** *परादेय ऋण में सभी ऋण तथा अन्य दायित्व शामिल हैं परन्तु भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ.न. 40(1)पी.एफ.-एस./2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 के अनुसार, इस ऋण में जी.एस.टी. मुआवजे की कमी के एवज में बैक टू बैक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 11,746 करोड़ शामिल नही हैं।*

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 की धारा 5 के अनुसार, हरियाणा सरकार ने 2023-24 के राज्य के बजट के साथ मध्यम अवधि की वित्तीय नीति तथा रणनीति विवरणी को प्रस्तुत किया।

राजस्व घाटा वर्ष 2022-23 में ₹ 17,211 करोड़ से घटकर वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 11,881 करोड़ रह गया जोकि जी.एस.डी.पी. का 1.08 प्रतिशत था और इस प्रकार पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के लक्ष्यों के अनुरूप नही था। वर्ष 2022-23 में ₹ 31,026 करोड़ के राजकोषीय घाटे में ₹ 415 करोड़ की वृद्धि के कारण, चालू वर्ष में राजकोषीय घाटा ₹ 31,441 करोड़ हो गया और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.87 *प्रतिशत* था जो कि विनिर्दिष्ट वित्तीय लक्ष्यों की पुष्टि करता है। वर्ष 2023-24 तक परादेय ऋण (अन्य दायित्वों सहित) को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 30.90 *प्रतिशत* तक कम करने की पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुकाबले 31 मार्च 2024 को परादेय ऋण (अन्य दायित्वों सहित) ₹ 3,26,622 करोड़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.81 *प्रतिशत* था ।

1.5.1 राजस्व घाटे/आधिक्य के रूझान

राजस्व घाटे/आधिक्य के रूझान

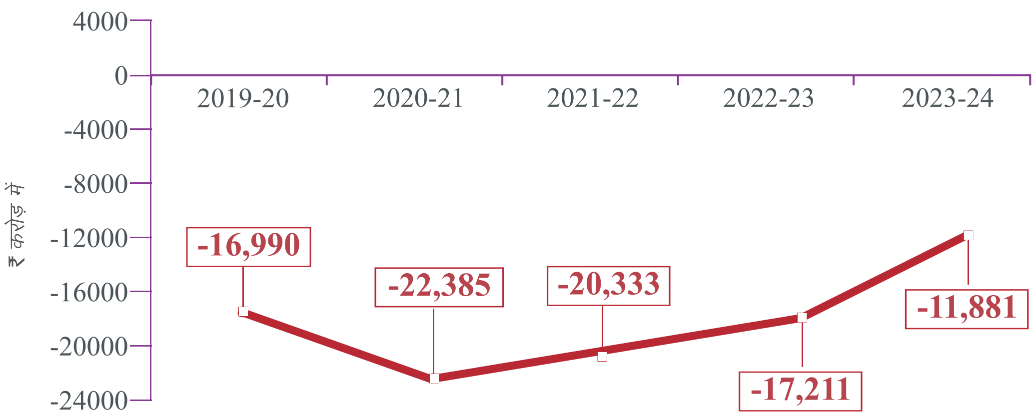

1.5.2 राजकोषीय घाटे के रूझान

राजकोषीय घाटे के रूझान

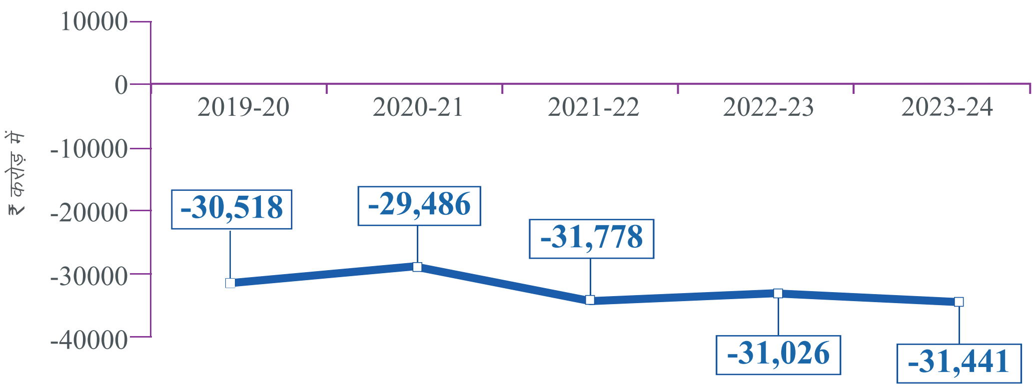

1.5.3 उधार निधि से पूँजीगत व्यय पर खर्च का अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार निधि	पूँजीगत व्यय	पूँजीगत व्यय की उधार निधि से प्रतिशतता
2019-20	44,432	17,666	40
2020-21	53,817	5,870	11
2021-22	55,106	11,046	20
2022-23	80,649	11,665	14
2023-24	88,721	15,921	18

उधार निधि से पूंजीगत व्यय की तुलना

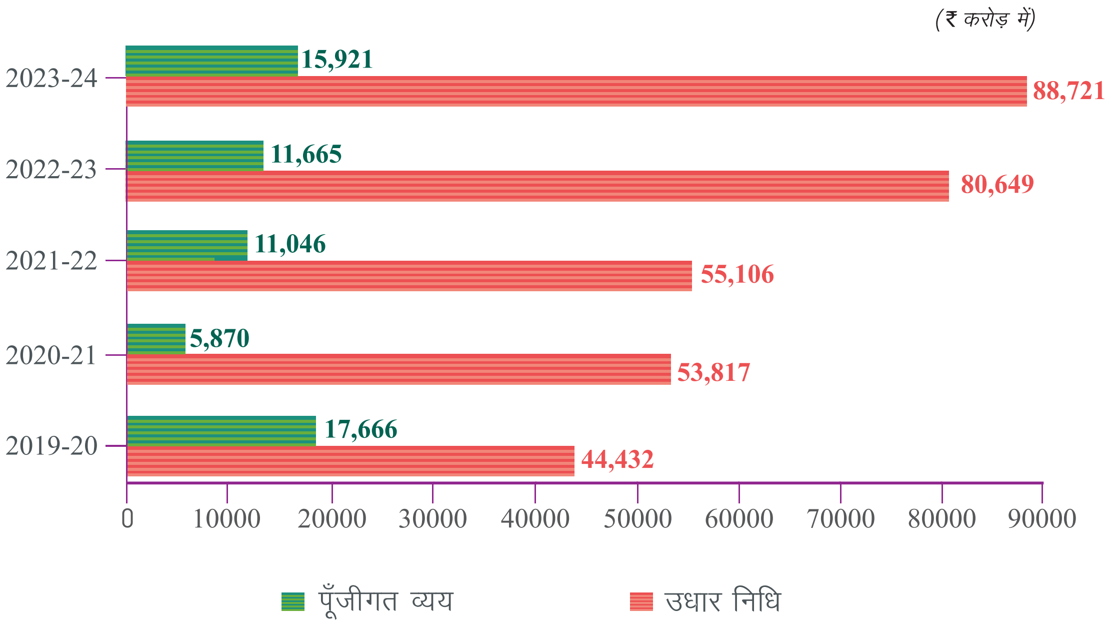

सामान्यतः सरकार राजकोषीय घाटे पर चलती है तथा पूँजीगत/परिसम्पतियाँ बनाने के लिए तथा आर्थिक व सामाजिक ढ़ाँचे के निर्माण के लिए ऋण लेती है ताकि उधारी द्वारा निर्मित परिसम्पतियाँ अपने लिए स्वयं आय उत्पन्न कर अदायगी कर सकें। इस प्रकार पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु उधारी के पूर्णतया उपयोग तथा मूलधन एवं ब्याज की वापसी हेतु राजस्व-प्राप्तियों का इस्तेमाल अपेक्षित है। परन्तु राज्य सरकार चालू वर्ष में उधारी (₹ 88,721 करोड़) का केवल 18 *प्रतिशत* पूँजीगत व्यय (₹ 15,921 करोड़) पर तथा 5 *प्रतिशत*, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण तथा अग्रिमों (₹ 4,055 करोड़) पर खर्च कर पाई। अतः यह प्रतीत होता है कि लोक ऋण में उधारी का 77 *प्रतिशत* (₹ 68,745 करोड़), पिछले वर्षों के लोक ऋण के मूलधन (₹ 59,194 करोड़) और ब्याज अंश के पुर्नभुगतान तथा चालू वर्ष में व्यय के प्रति राजस्व की आवधिक कमी को पूरा करने हेतु, उपयोग किया गया।

अध्याय-II

प्राप्तियाँ

2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों तथा पूँजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2023-24 में कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,33,171 करोड़ थी ।

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

सरकार की राजस्व प्राप्तियों के मुख्यतः तीन घटक हैं : कर राजस्व, गैर कर राजस्व तथा संघ सरकार से प्राप्त सहायतानुदान।

कर-राजस्व

राज्य सरकार द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित कर तथा संविधान की धारा 280 (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा सम्मिलित है।

गैर कर-राजस्व

ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश, लाभ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि सम्मिलित होते हैं।

सहायतानुदान

सहायतानुदान, संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई केन्द्रीय-सहायता को अभिव्यक्त करते हैं। इसमें विदेशी सरकारों से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से जारी ''वाह्य सहायतानुदान'' तथा ''सहायता, सहायता-सामग्री व उपकरण'' भी शामिल हैं। बदले में, राज्य-सरकार भी पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों इत्यादि संस्थानों को सहायतानुदान देती है।

राजस्व-प्राप्तियाँ

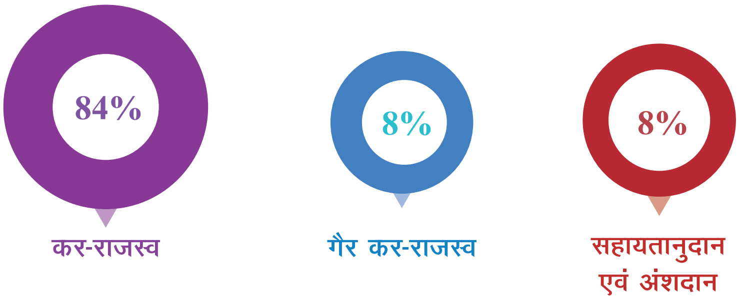

2.2.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक (2023-24)

	घटक	वास्तविक आंकडे (₹ करोड़ में)	कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता
क.	*कर-राजस्व **	**84,857**	**84**
	वस्तु तथा सेवा कर	37,707	37
	आय व व्यय पर कर	7,985	8
	सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेनों पर कर	10,552	10
	वस्तुओं व सेवाओं पर कर	28,613	28
ख.	*गैर कर-राजस्व*	**8,103**	**8**
	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ	1,935	2
	सामान्य सेवाएँ	666	1
	सामाजिक सेवाएँ	2,493	2
	आर्थिक सेवाएँ	3,009	3
ग.	*सहायतानुदान एवं अंशदान*	**8,355**	**8**
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	**1,01,315**	**100**

** इसमें भारत सरकार से प्राप्त राज्य का निवल आगम का भाग सम्मिलित है ।*

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों के रूझान

(₹ करोड़ में)

घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कर-राजस्व (राज्य द्वारा संग्रहित)	42,825 (5)	41,914 (5)	53,377 (6)	62,961 (6)	72,511 (7)
संघ के करों/ शुल्कों में राज्य का हिस्सा	7,111 (1)	6,437 (1)	9,722 (1)	10,378 (1)	12,345 (1)
गैर कर-राजस्व	7,400 (1)	6,962 (1)	7,394 (1)	8,743 (1)	8,103 (1)
सहायतानुदान	10,522 (1)	12,248 (2)	7,598 (1)	7,113 (1)	8,355 (1)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	**67,858 (8)**	**67,561 (9)**	**78,091 (9)**	**89,195 (9)**	**1,01,314 (9)**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**8,31,610**	**7,64,872**	**8,95,671**	**9,94,154**	**10,95,535**

टिप्पणी : लघु कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।
सभी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े वर्तमान दरों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा सूचित किए गए है।

वर्ष 2023-24 में, पिछले वर्ष के मुकाबले, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 10 *प्रतिशत* की बढ़ोतरी हुई जबकि राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि केवल 14 *प्रतिशत* थी। पिछले वर्ष के मुकाबले, कुल कर-राजस्व (संघीय करों के हिस्से सहित) 16 *प्रतिशत* तक बढ़ा जबकि गैर कर-राजस्वों में 7 *प्रतिशत* तक की कमी देखी गयी परन्तु सहायतानुदान में 17 *प्रतिशत* की बढ़ोतरी हुई।

राजस्व प्राप्तियों के घटकों के रूझान

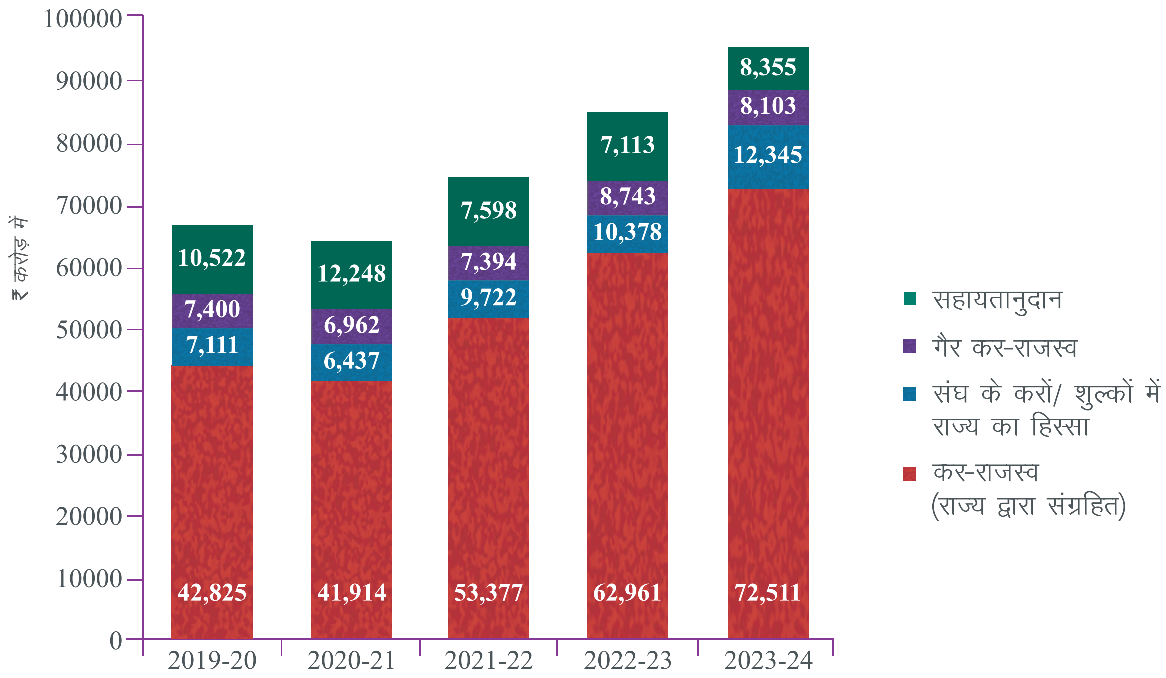

2.3 कर-राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रवार कर-राजस्व					
घटक	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
क. वस्तु तथा सेवा कर	20,891 (2.51)	20,143 (2.63)	25,685 (2.86)	31,509 (3.17)	37,707 (3.44)
ख. आय व व्यय पर कर	4,324 (0.52)	3,943 (0.51)	5,721 (0.64)	6,876 (0.69)	7,985 (0.73)
ग. सम्पत्ति तथा पूँजीगत लेन-देनों पर कर	6,034 (0.72)	5,173 (0.68)	7,620 (0.85)	8,630 (0.87)	10,552 (0.96)
ध. वस्तुओं व सेवाओं पर कर	18,687 (2.25)	19,092 (2.50)	24,073 (2.69)	26,324 (2.65)	28,613 (2.61)
कुल कर-राजस्व	**49,936 (6.00)**	**48,351 (6.32)**	**63,099 (7.04)**	**73,339 (7.38)**	**84,857 (7.75)**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**8,31,610**	**7,64,872**	**8,95,671**	**9,94,154**	**10,95,535**

टिप्पणीः कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता को दर्शाते है।
सभी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े वर्तमान दरों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा सूचित किए गए है।

वर्ष 2023-24 में सकल कर राजस्व में बढ़ोतरी मुख्यतः भारत सरकार से राज्य के हिस्से के अधिक आबंटन जैसे कि निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 882 करोड़), केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर (₹ 814 करोड़) और राज्य वस्तु तथा सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) (₹ 5,383 करोड़),स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (₹ 1,922 करोड़), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 1,653 करोड़), तथा वाहनों पर कर इत्यादि पर करों के तहत अधिक संग्रहण के कारण थी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में मुख्य करों के रूझान

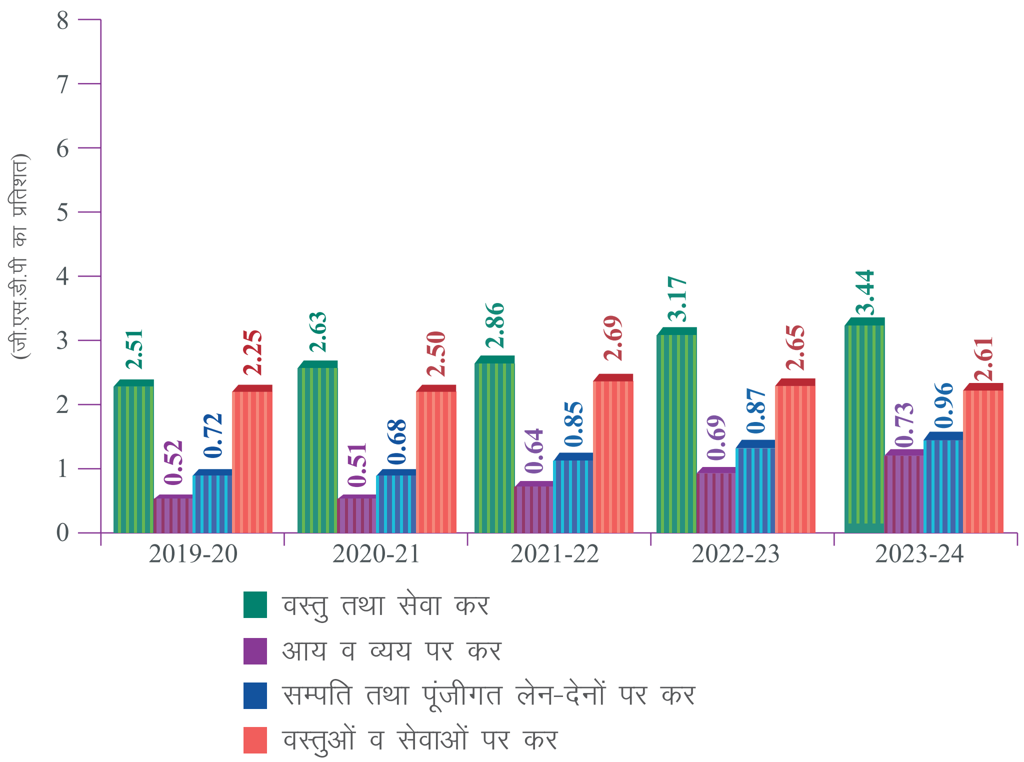

2.3.1 राज्य के निजी कर तथा संघीय करों में राज्य का अंश

राज्य सरकार को कर-राजस्व मुख्यतः दो स्त्रोतों से आता है: राज्य का निजी कर संग्रहण तथा संघीय करों का अन्तरण।

निम्न तालिका में पिछले पाँच वर्षों के दौरान दो स्त्रोतों से प्राप्त कर-राजस्व को तुलनात्मक रूप में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राज्य का निजी कर संग्रहण	42,825	41,914	53,377	62,961	72,511
संघीय करों का अन्तरण	7,111	6,437	9,722	10,378	12,345
सकल कर-राजस्व	**49,936**	**48,351**	**63,099**	**73,339**	**84,856**
राज्य के निजी कर की सकल कर राजस्व से प्रतिशतता	86	87	85	86	85
राज्य के निजी कर की सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	5.15	5.48	5.96	6.33	6.62

राज्य के निजी कर संग्रहण का सकल कर-राजस्व से अनुपात वर्ष 2022-23 में 86 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2023-24 में 85 *प्रतिशत* रह गया।

2.3.2 पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य के निजी कर संग्रहण के रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1. राज्य वस्तु तथा सेवा कर	18,873	18,236	22,922	28,577	33,960
2. भू-राजस्व	20	17	21	22	22
3. स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	6,013	5,157	7,598	8,607	10,529
4. राज्य उत्पाद शुल्क	6,323	6,864	7,933	9,673	11,326
5. बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,398	8,660	11,221	11,262	11,331
6. वाहन-कर	2,916	2,495	3,265	4,231	4,904
7. माल तथा यात्रियों पर कर	16	4	6	3	7
8. विद्युत कर तथा शुल्क	262	476	404	578	424
9. अन्य कर	4	5	6	7	8
कुल राज्य के निजी कर	**42,825**	**41,914**	**53,376**	**62,960**	**72,511**

2.4 कर संग्रहण पर लागत

(₹ करोड़ में)

कर	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
राजस्व संग्रहण	8,398	8,660	11,221	11,262	11,331
संग्रहण पर व्यय	172	207	208	267	249
कर संग्रहण पर लागत की प्रतिशतता	2.05	2.39	1.85	2.37	2.20
2. राज्य उत्पाद शुल्क					
राजस्व संग्रहण	6,323	6,864	7,933	9,673	11,326
संग्रहण पर व्यय	47	53	52	59	57
कर संग्रहण पर लागत की प्रतिशतता	0.74	0.77	0.66	0.61	0.50
3. वाहन, माल तथा यात्री कर					
राजस्व संग्रहण	2,932	2,499	3,271	4,234	4,911
संग्रहण पर व्यय	58	77	74	86	87
कर संग्रहण पर लागत की प्रतिशतता	1.98	3.08	2.26	2.03	1.77
4. स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क					
राजस्व संग्रहण	6,013	5,157	7,598	8,607	10,529
संग्रहण पर व्यय	10	9	22	10	134
कर संग्रहण पर लागत की प्रतिशतता	0.17	0.17	0.29	0.12	1.27

अन्य करों के संग्रहण पर व्यय के मुकाबले, बिक्री, व्यापार आदि पर कर तथा वाहन, माल तथा यात्री कर के संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता अत्यधिक थी।

2.5 संघीय करों में राज्य के अंश में पिछले पाँच वर्षों के रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर	2,018	1,907	2,763	2,933	3,747
निगम कर	2,425	1,947	2,846	3,479	3,706
आय पर निगम कर से भिन्न कर	1,900	1,996	2,875	3,397	4,279
सम्पत्ति कर	..	..	1	..	..
सीमा शुल्क	451	338	709	408	432
संघ उत्पाद शुल्क	313	216	390	128	164
सेवा कर	..	28	128	16	2
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	4	5	10	17	15
संघीय करों/शुल्कों में राज्य का अंश	7,111	6,437	9,722	10,378	12,345
कुल कर-राजस्व	**49,936**	**48,351**	**63,099**	**73,339**	**84,856**
संघीय करों/ शुल्कों में राज्य के अंश की कुल कर-राजस्व की प्रतिशतता	14	13	15	14	15

हरियाणा सरकार के कुल कर-राजस्व में केंद्रीय करों/शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान, 13 से 15 *प्रतिशत* के बीच थी।

2.6 सहायतानुदान

सहायतानुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि को अभिव्यक्त करते हैं तथा इसमें राज्य योजनाओं, केन्द्रीय योजनाओं तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान तथा वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किए गए राज्य अनुदान समाहित हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान सहायतानुदान के अधीन कुल प्राप्तियाँ ₹ 8,355 करोड़ थी जैसा कि निम्न दर्शाया गया है :

सहायतानुदान

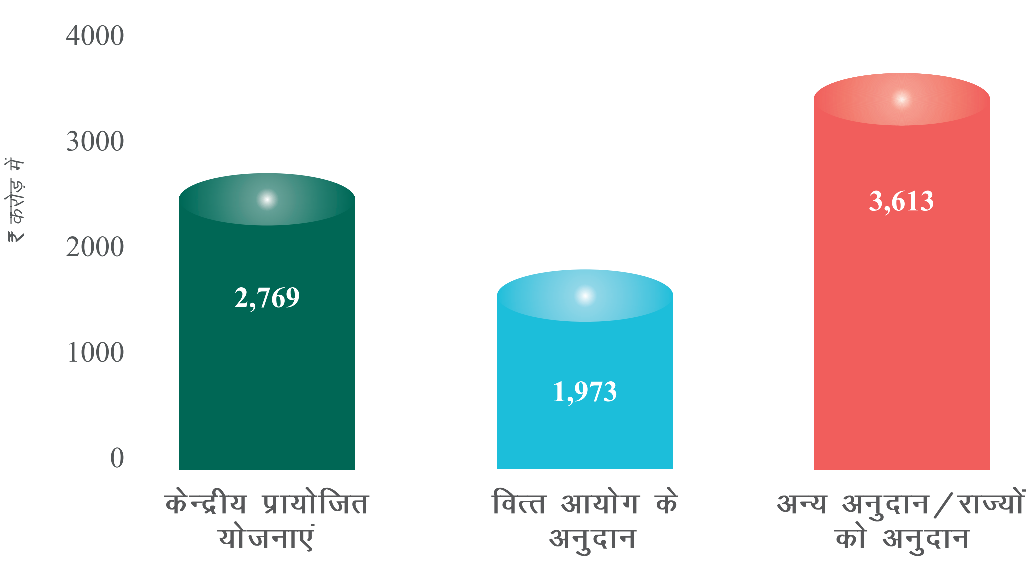

सहायतानुदान के रूझान

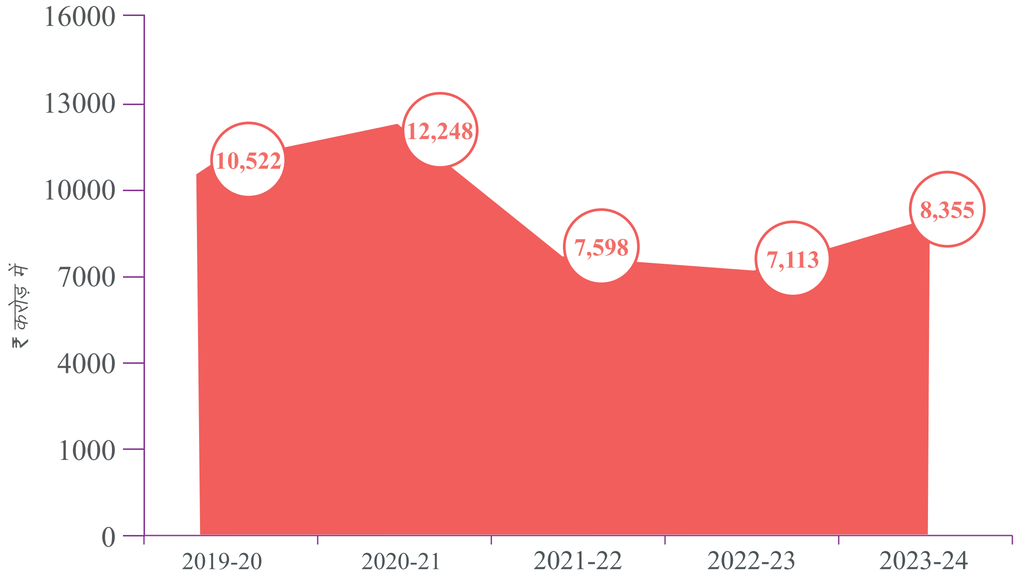

2.7 लोक ऋण

पिछले पाँच वर्षों में लोक ऋण के रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आन्तरिक ऋण	1,83,786	2,03,958	2,26,208	2,52,781	2,80,772
केन्द्रीय ऋण	1,705	1,500*	1,489*	2,544*	4,079*
कुल जोड़	1,85,491	2,05,458	2,27,697	2,55,325	2,84,851

** केन्द्रीय ऋणों में जी.एस.टी. मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ.न. 40(1)पी.एफ.-एस. /2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 के द्वारा बैक टू बैक ऋण के रूप में दी गई राशि (2020-21 के दौरान ₹ 4,352.00 करोड़ तथा 2021-22 से 2023-24 के दौरान ₹ 11,746 करोड़) शामिल नही हैं।*

वर्ष 2023-24 में, कुल ₹ 47,500 करोड़ के सैंतीस ऋण, 7.16 *प्रतिशत* से 7.77 *प्रतिशत* की ब्याज दर से, खुला-बाजार से उठाये गए थे जो वर्ष 2027-36 तक प्रतिदेय हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹ 13,098 करोड़ तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से ₹ 383 करोड़ के ऋण उठाये। भारतीय रिजर्व बैंक से ₹ 25,994 करोड़ की राशि अर्थोंपाय अग्रिम के माध्यम से ली गई। इस प्रकार, सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में कुल ₹ 86,975 करोड़ का आन्तरिक ऋण लिया गया। सरकार को भारत सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में ₹ 1,745 करोड़ भी प्राप्त हुए। हालांकि, वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ₹ 58,984 करोड़ का आंतरिक ऋण चुकाया गया। वर्ष के दौरान भारत सरकार के ऋणों और अग्रिमों का पुनर्भुगतान ₹ 210 करोड़ तक था।

अध्याय-III

व्यय

3.1 भूमिका

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति का होता है व इसका उपयोग सरकारी तंत्र के दैनिक कार्य-संचालन के लिए किया जाता है तथा इसे राजस्व प्राप्तियों से वहन किया जाना होता है। पूँजीगत व्यय को स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा ऐसी परिसम्पत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि या स्थायी दायित्वों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

सरकारी लेखों में व्यय को मुख्यतः तीन खण्डों में बांटा गया है : सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ तथा आर्थिक सेवाएँ। इन खण्डों के अन्तर्गत आने वाले मुख्य क्षेत्रों के व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

सामान्य सेवाएँ	न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, ब्याज तथा पेंशन इत्यादि सम्मिलित हैं।
सामाजिक सेवाएँ	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति तथा अनुसूचित जाति/जनजाति का कल्याण इत्यादि सम्मिलित हैं।
आर्थिक सेवाएँ	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग तथा परिवहन इत्यादि सम्मिलित हैं।

3.2 राजस्व व्यय

विनियोग लेखों के अनुसार पिछले पाँच वर्षों के दौरान, बजट अनुमानों के विरूद्ध राजस्व व्यय की कमी का विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बजट अनुमान (कुल)	1,00,755	1,13,664	1,34,262	1,23,907	1,34,891
वास्तविक आंकड़े (कुल)	85,180	90,671	99,441	1,06,853	1,13,776
अन्तर	15,575	22,993	34,821	17,054	21,115
अन्तर की बजट अनुमानों से प्रतिशतता	15	20	26	14	16

(स्रोत- संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

3.2.1 प्रतिबद्ध राजस्व व्यय

प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान तथा पेंशन पर किया गया व्यय शामिल है। वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व व्यय (₹ 1,13,196 करोड़) का लगभग 55 प्रतिशत प्रतिबद्ध व्यय पर जैसे वेतन (₹ 27,168 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 21,605 करोड़) तथा पेंशन (₹ 13,497 करोड़) पर खर्च किया गया।

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2023-24 में वेतन पर व्यय 25 प्रतिशत, ब्याज भुगतान पर 39 प्रतिशत और पेंशन पर 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है।

(₹ करोड़ में)

घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वेतन पर व्यय	21,721 (26)	21,961 (24)	23,441 (24)	25,446 (24)	27,168 (24)
ब्याज भुगतान पर व्यय	15,588 (18)	17,115 (19)	18,362 (19)	20,096 (19)	21,605 (19)
पेंशन पर व्यय	8,833 (10)	9,713 (11)	10,617 (11)	12,404 (12)	13,497 (12)
कुल	**46,142** (54)	**48,789** (54)	**52,420** (53)	**57,946** (54)	**62,270** (55)
कुल राजस्व व्यय	**84,848**	**89,946**	**98,425**	**1,06,406**	**1,13,196**

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, कुल राजस्व व्यय से प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

प्रतिबद्ध राजस्व व्यय के रूझान

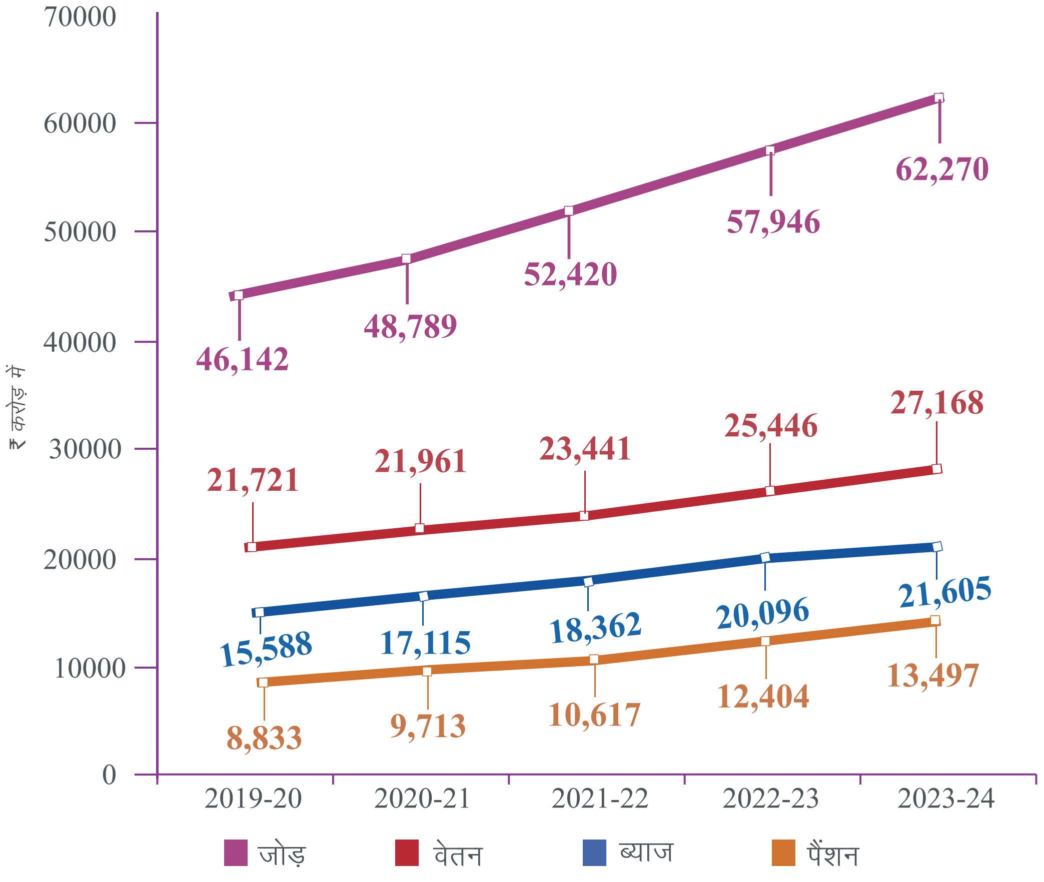

विगत पाँच वर्षों में प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के साथ तुलनात्मक स्थिति नीचे दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल राजस्व व्यय	84,848	89,946	98,425	1,06,406	1,13,196
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय #	46,142	48,789	52,420	57,946	62,270
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	38,706	41,157	46,005	48,460	50,926
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय की कुल राजस्व व्यय से प्रतिशतता	54	54	53	54	55
राजस्व प्राप्तियाँ	67,858	67,561	78,092	89,195	1,01,315
प्रतिबद्ध व्यय की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता	68	72	67	65	61

 # प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन, ब्याज तथा पेंशन भुगतान पर किया व्यय सम्मिलित है।

यह देखा जा सकता है कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय वर्ष 2019-20 में ₹ 38,706 करोड़ से 32 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 50,926 करोड़ हो गया। कुल राजस्व व्यय वर्ष 2019-20 में ₹ 84,848 करोड़ से 33 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 1,13,196 करोड़ हो गया तथा उसी अवधि के दौरान प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

3.2.2 राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार विवरण (2023-24)

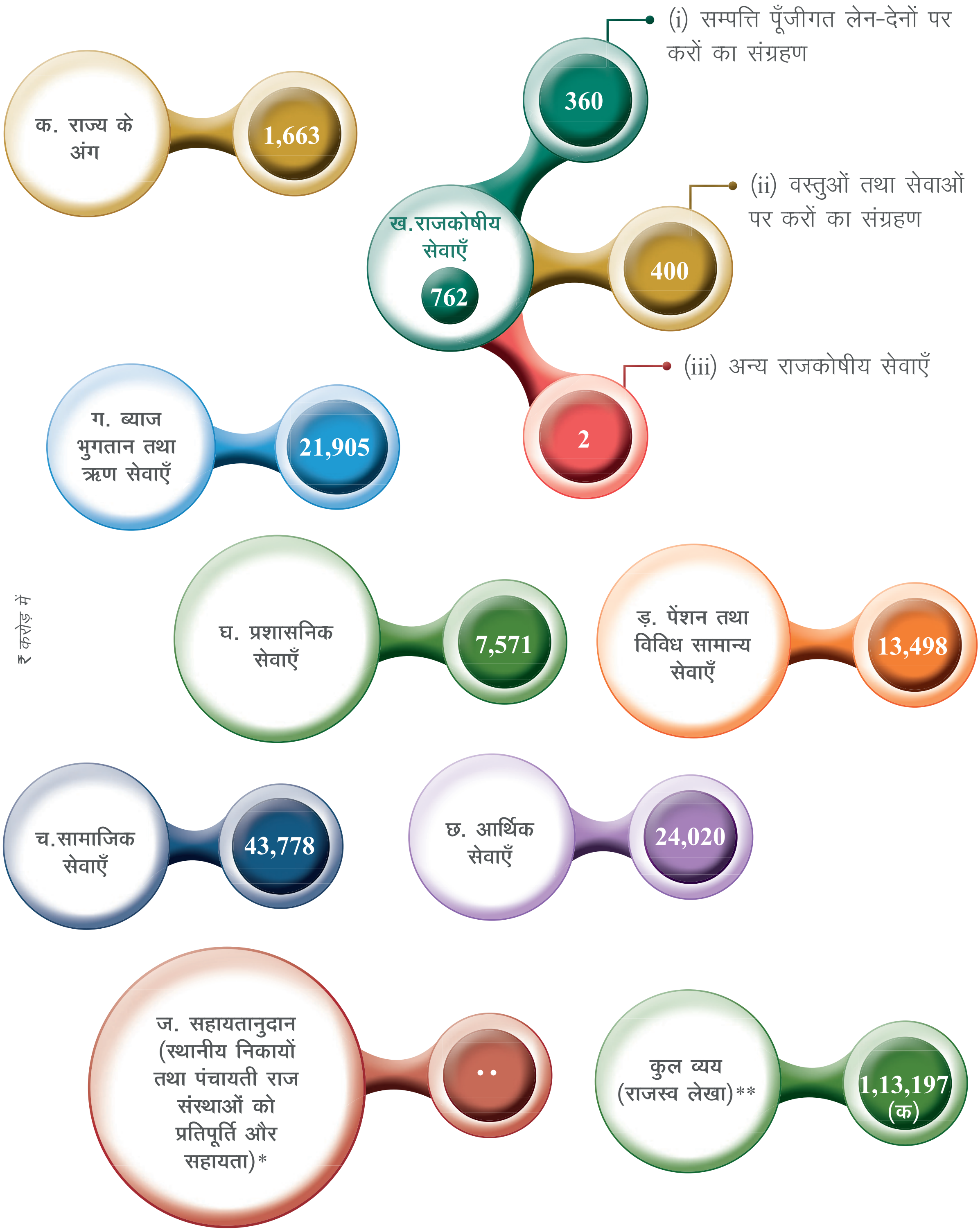

** राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थानों/एजेंसीयों को राजस्व व्यय के तहत दी जाने वाली अनुदान सहायता संबंधित योजनाओं के मुख्य शीर्षों के तहत दर्ज की जाती है।*

*** (शुद्धः वसूलियाँ घटाने के बाद)*

(क) वास्तविक आंकड़ों से ₹ 1 करोड़ का अंतर पूर्णांकन के कारण है।

3.2.3 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (2019-20 से 2023-24)

(₹ करोड़ में)

घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सामाजिक सेवाएँ	33,726	36,164	40,928	43,680	43,778
आर्थिक सेवाएँ	19,238	19,048	19,549	20,657	24,020
ब्याज भुगतान तथा ऋण सेवाएँ	15,588	17,115	18,862	20,396	21,905
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान तथा ऋण सेवाओं के अतिरिक्त)	16,296	17,619	19,086	21,673	23,493

राजस्व व्यय के मुख्य घटकों के रूझान

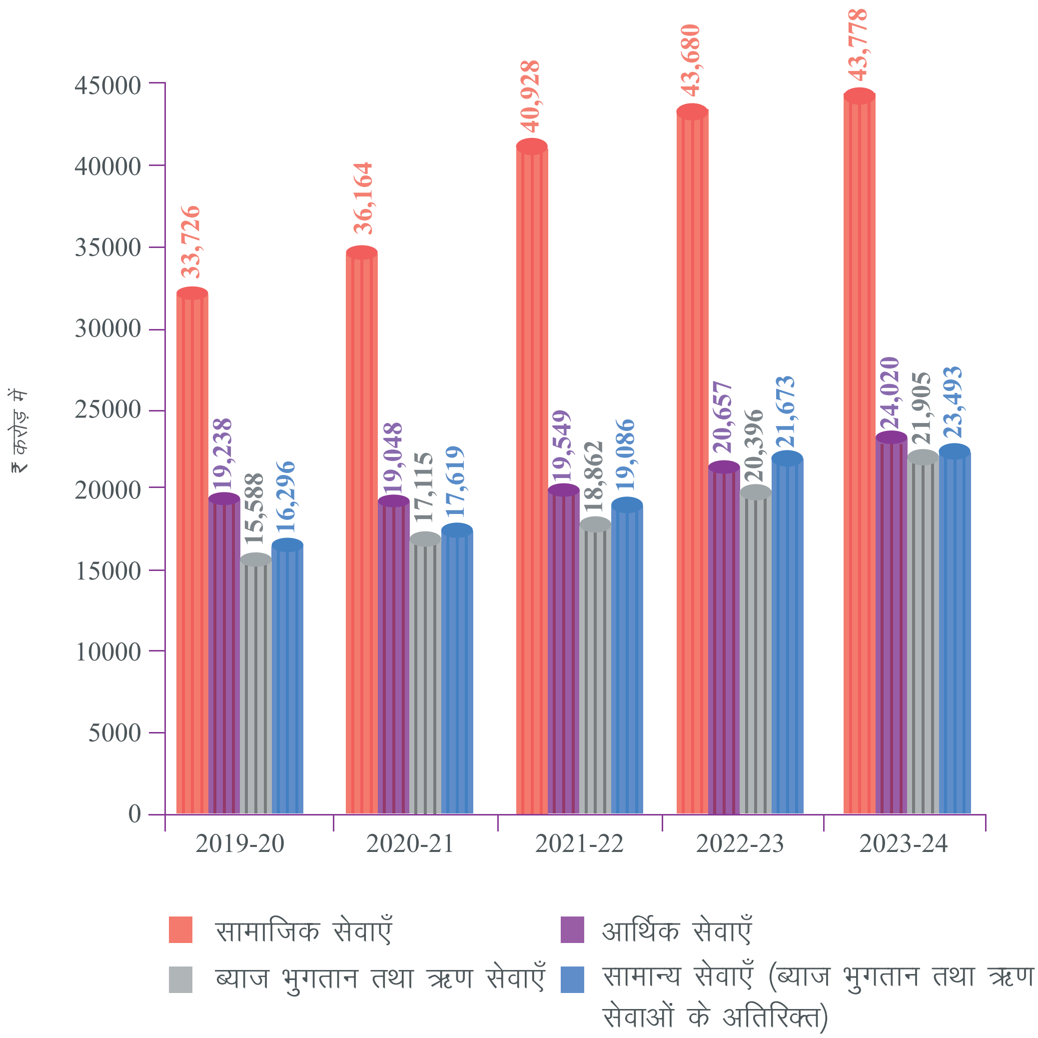

3.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय विकास को लगातार बनाये रखने के लिए अत्यन्त जरूरी है। वर्ष 2023-24 में ₹ 15,921 करोड़ का पूँजीगत व्यय (जी. एस. डी. पी. का 1 *प्रतिशत*) बजट अनुमानों से ₹ 7,086 करोड़ कम था। वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में पूंजीगत व्यय में अधिक वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है।

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	बजट अनुमान*	19,563	14,055	14,028	23,072	23,007
2	वास्तविक पूँजीगत व्यय(#)	17,666	5,870	11,046	11,665	15,921
3	वास्तविक पूँजीगत व्यय की बजट अनुमानों से प्रतिशतता	90	42	79	51	69
4	पूँजीगत व्यय में वार्षिक वृद्धि की प्रतिशतता	15	(-) 67	88	6	36
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	8,31,610	7,64,872	8,95,671	9,94,154	10,95,535
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि की प्रतिशतता	18	(-) 8	17	11	10

** आंकड़े विनियोग लेखे के अनुसार हैं जिनमें व्यय की कटौती में समायोजित की गई वसूलियां भी शामिल हैं।*
 # इसमें ऋणों तथा अग्रिमों का व्यय सम्मिलित नहीं है।

3.3.1 पूँजीगत व्यय का क्षेत्र-वार विवरण

2023-24 के दौरान, सरकार द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर ₹ 1,783 करोड़ (मुख्य सिंचाई पर ₹ 1,013 करोड़ तथा मध्यम सिंचाई पर ₹ 770 करोड़) का व्यय किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार ने सड़कों तथा पुलों के निर्माण पर ₹ 2,651 करोड़ का खर्च किया तथा सरकारी कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं में ₹ 373 करोड़ का निवेश किया। वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों तथा समितियों के द्वारा ₹ 115 करोड़ की शेयर पूंजी का विमोचन किया गया।

3.3.2. पिछले पाँच वर्षों में पूँजीगत व्यय का क्षेत्र-वार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सामान्य सेवाएँ	586 (3)	388 (6)	562 (5)	553 (4)	641 (3)
सामाजिक सेवाएँ	3,234 (17)	2,986 (44)	5,471 (45)	3,756 (27)	4,438 (22)
आर्थिक सेवाएँ	13,846 (73)	2,496 (37)	5,012 (42)	7,356 (52)	10,842 (54)
ऋण तथा अग्रिम	1,309 (7)	926 (13)	966 (8)	2,462 (17)	4,055 (20)
कुल पूँजीगत व्यय	**18,975**	**6,796**	**12,011**	**14,127**	**19,976**

टिप्पणी: कोष्ठकों में दर्शाये आंकड़े, कुल पूँजीगत व्यय से प्रतिशतता बताते हैं।

पूँजीगत तथा राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार विवरण

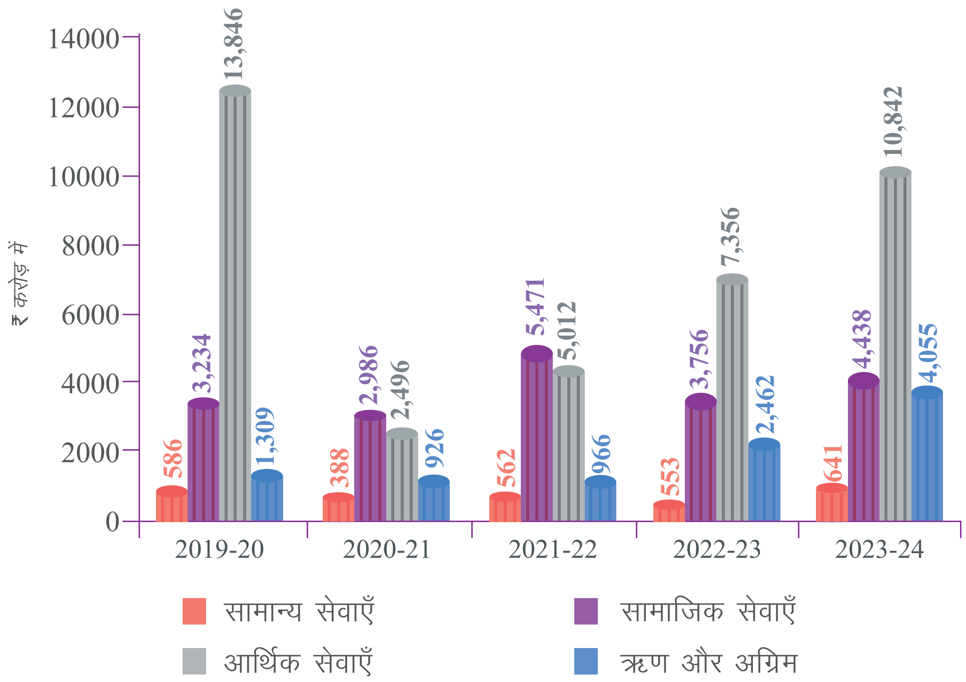

अध्याय-IV

विनियोग लेखे

4.1 वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखाओं का सारांश

वर्ष 2023-24 के लिए विधानमंडल द्वारा अनुमोदित बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक व्यय का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
1.	**राजस्व** दत्तमत *प्रभारित*	1,05,282 *21,568*	7,018 *1,023*	1,12,300 *22,591*	91,881 *21,895*	(-) 20,419 *(-) 696*
2.	**पूँजीगत** दत्तमत *प्रभारित*	36,921 *80*	5,243 *100*	42,164** *180*	29,244 *150*	(-) 12,920 *(-) 30*
3.	***लोक ऋण*** *प्रभारित*	*55,220*	*2,639*	*57,859*	*59,194*	*(+) 1,335**
4.	**ऋण एवं अग्रिम** दत्तमत	1,305	160	1,465	725	(-) 740
	जोड़ **दत्तमत** ***प्रभारित***	**1,43,508** ***76,868***	**12,421** ***3,762***	**1,55,929**** ***80,630***	**1,21,850** ***81,239***	**(-) 34,079** ***(+) 609***

**अधिकता पुनर्विनियोजन को शामिल न करने के कारण है क्योंकि वे क्रम में नहीं थे।*

***कुल बजट/वास्तविक व्यय में ₹ 1 करोड़ का अंतर पूर्णांकन के कारण है।*

4.2 विगत पाँच वर्षों में बचत/आधिक्य के रूझान

पिछले पाँच वर्षों की विनियोग लेखाओं के अनुसार बजट अनुमानों के मुकाबले बचत/आधिक्य की स्थिति नीचे सरणीबद्ध है।

(₹ करोड़ में)

बचत (-) आधिक्य (+)					
वर्ष	राजस्व	पूँजी	लोक ऋण	कर्ज तथा पेशगियां	कुल
2019-20	(-)15,575	(-)6,164	(-)4,482	(-)373	**(-)26,594**
2020-21	(-)185	(+)1,332	(-)3,484	(+)183	**(-)2,154**
2021-22	(+)17,729	(+)1,261	(-)2,688	..	**(+)16,302**
2022-23	(-)17,053*	(-)17,950*	(-)567*	(-)252*	**(-)35,822***
2023-24	(-)21,115*	(-)12,950*	(+)1,335*	(-)740*	**(-)33,470***

**पुनर्विनियोजन के द्वारा समर्पण को छोड़कर ।*

4.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के तहत पर्याप्त बचत, उस वर्ष में कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों के अक्रियान्वयन या धीमें क्रियान्वयन की ओर इंगित करती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, महत्वपूर्ण निवल बचत (कुल बजट अनुमानों का ≥10 प्रतिशत) वाले सभी अनुदान निम्न प्रकार से है :

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	कुल बजट अनुमानों का प्रतिशत	बचत राशि
1	विधान सभा	44	64
3	सामान्य प्रशासन/ निर्वाचन	45	626
4	राजस्व/ आबकारी एवं काराधान	38	1,537
7	राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां	51	740
10	खान एवं भू-विज्ञान/ कृषि/ बागवानी/ पशुपालन तथा डेयरी विकास/ मछली पालन/ वन तथा वन्य प्राणी/ परिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण	49	3,999
11	खाद्य एवं पूर्ति/ सहकारिता	16	2,765
12	शिक्षा (उच्चतर/ माध्यमिक/ प्राथमिक)/ तकनीकी शिक्षा/ महिला तथा बाल विकास	17	4,130
13	खेलकूद तथा युवा कल्याण/ कला एवं संस्कृति/ पर्यटन	36	315
14	स्वास्थ्य/ डी.एम.ई.आर./ आयुष/ ई.एस.आई./ एफ.डी.ए.	15	1,458
15	श्रम/ रोजगार/ कौशल विकास एवं औधौगिक प्रशिक्षण	53	1,064
17	भवन तथा सड़कें/ परिवहन/ नगर विमानन	24	2,875
18	सूचना तथा प्रचार/ इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी/ मुद्रण तथा लेखन सामग्री	36	240
19	सिंचाई/ उद्योग और वाणिज्य/ एम.एस.एम.ई./ पूर्ति तथा निपटान/ विद्युत और नवीनकरणीय ऊर्जा/ विज्ञान और प्राद्यौगिकी	19	3,370
20	शहरी विकास (नगर तथा ग्राम आयोजना/ शहरी सम्पदा)/ स्थानीय सरकार (शहरी स्थानीय निकाय/ अग्निशमन सेवाएं)/ ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/ विकास और पंचायत)/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	38	8,102

वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल ₹ 16,183 करोड़ के अनुपूरक अनुदान (सकल व्यय ₹ 2,03,089 करोड़ का 7.97 प्रतिशत), कुछ मामलों में, अनावश्यक सिद्ध हुए। वर्ष के अन्त में, मूल बजट के विरूद्ध हुई बचतों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैः

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
3	2051- लोक सेवा आयोग 103- कर्मचारी चयन आयोग 99- स्थापना	राजस्व	181	51	142
4	2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 05- राज्य आपदा राहत फण्ड 101- रिजर्व फण्ड और जमा खातों में स्थानांतरण-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 99-राज्य और केंद्र योगदान	राजस्व	722	296	578
6	2049- ब्याज अदायगियां 03- अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज 104- राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज 99- राज्य भविष्य निधि पर ब्याज (भारित व्यय)	राजस्व	1,350	110	1,271
10	2401- फसल कृषि कर्म 108- वाणिज्यिक फसलें 81- गन्ना पर प्रौद्योगिकी मिशन के लिए योजना	राजस्व	200	137	196
12	4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01- सामान्य शिक्षा 203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 99- महाविद्यालय भवन	पूंजीगत	150	53	115
14	2210- चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य 04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां 101- आयुर्वेद 86- आयुर्वेदिक/ यूनानी/ होम्योपैथिक औषधालयों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदढ़ीकरण तथा महिलाओं, बच्चों तथा बुजुर्गों के लिए विशेष औषधियां	राजस्व	180	16	153

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
16	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण 283- आवास 99- डा. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना	राजस्व	100	100	72
17	5053 -नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय 60- अन्य वैमानिक सेवाएं 102- नेविगेशन और वायु मार्ग सेवाएं 98- हिसार में स्वर्ण जयंती इंटीग्रेटेड एविगेशन हब	पूंजीगत	500	172	390
19	2705- कमान क्षेत्र विकास 188- स्वायत निकायों को सहायता 98- जलकुंड का निर्माण/ पुनर्वास/ पुनर्निमाण/ विस्तार	राजस्व	250	200	249
19	2801- बिजली 05- संचरण तथा वितरण 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 94- यूएचबीवीएनएल/ डीएचबीवीएनएल को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सहायता	राजस्व	6,953	845	6,886
20	2215- जलापूर्ति तथा सफाई 01- जलापूर्ति 001-निर्देशन तथा प्रशासन 89- कार्यप्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पीएलओ) सार्वजनिक स्वास्थ्य (पीयूएच-पीएलओ-आरईवी)	राजस्व	450	110	..

अध्याय-V

परिसम्पत्तियाँ तथा दायित्व

5.1 परिसम्पत्तियाँ

लेखाओं का वर्तमान स्वरूप जमीन, भवन आदि जैसी सरकारी परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन को, अर्जन/खरीद के वर्ष में मूल्य को छोड़कर, सही तरह नहीं दर्शाता। इसी प्रकार, जैसे लेखे केवल चालू-वर्ष की देनदारियों के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, पर वे भावी पीढ़ीयों पर पड़ने वाले दायित्वों के समग्र प्रभाव को चित्रित नहीं करते, वे केवल एक सीमा तक ब्याज की दर तथा मौजूदा ऋण की अवधि को दर्शाते हैं।

वर्ष 2023-24 के अन्त में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शेयर-पूँजी के रूप में कुल निवेश, ₹ 38,278 करोड़ था। जबकि वर्ष के दौरान, ₹ 290 करोड़ (कुल निवेश का 0.76 *प्रतिशत*) का लाभांश प्राप्त हुआ। वर्ष 2023-24 के दौरान, निवेश में ₹ 258 करोड़ (निवल) की वृद्धि हुई तथा लाभांश में ₹ 98 करोड़ की वृद्धि हुई।

1 अप्रैल 2023 को, भारतीय रिजर्व बैंक का रोकड़ शेष ₹ (-) 716 करोड़ था जो मार्च 2024 के अन्त तक बढकर ₹ 373 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 में, सरकार ने 102 अवसरों पर, ₹ 63,098 करोड़ का 14 दिनों के खजाना बिलों में निवेश किया तथा ₹ 63,135 करोड़ के मूल्य का, 125 अवसरों पर खजाना बिलों का पुनः बट्टा चुकाया। वर्ष 2023-24 के दौरान निवेश की स्थिति को नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है:

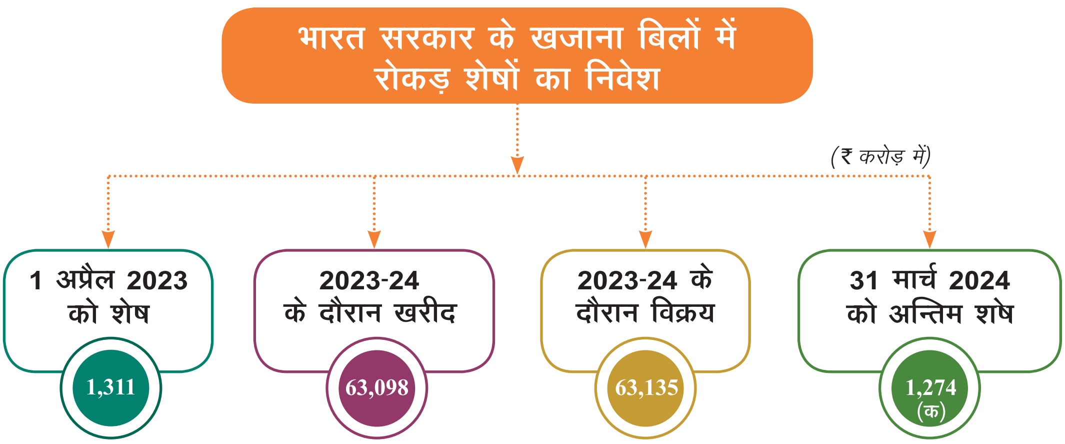

(क) वास्तविक रोकड़ शेषों के निवेश से ₹ 1 करोड़ का अन्तर पूर्णांकन के कारण है।

5.2 ऋण तथा दायित्व

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293, राज्य सरकारों को, राज्य की समेकित निधि की अभिरक्षा पर, एक सीमा के भीतर, जो कि राज्य विधानमण्डल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है, यदि कोई है, उधार लेने की शक्तियां प्रदान करता है।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल दायित्वों का विगत पाँच वर्षों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित हैः

वर्ष	लोक ऋण (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	लोक लेखा (*) (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	कुल दायित्व (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
2019-20	1,85,491	22	30,071	4	2,15,562	26
2020-21	2,05,458	27	33,250	4	2,38,708	31
2021-22	2,27,697	25	36,254	4	2,63,951	29
2022-23	2,55,325	26	37,798	4	2,93,123	29
2023-24	2,84,851	26	41,771	4	3,26,622	30

(*) उचन्त और प्रेषण शेष से बाहर है।

टिप्पणीः 1. लोक ऋणों में जी.एस.टी. मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ.न. 40(1)पी.एफ.-एस./2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 के द्वारा बैक टू बैक ऋण के रूप में दी गई राशि (2020-21 के दौरान ₹ 4,352.00 करोड़ तथा 2021-22 और 2023-24 के दौरान ₹ 11,746 करोड़) शामिल नही हैं।

2. आंकड़े वर्ष के अन्त तक प्रगतिशील शेष हैं ।

2023-24 में लोक ऋण तथा कुल दायित्वों में, पिछले वर्ष से, ₹ 33,499 करोड़ (11 *प्रतिशत*) की निविल वृद्धि हुई है।

सरकारी देनदारियों के रूझान

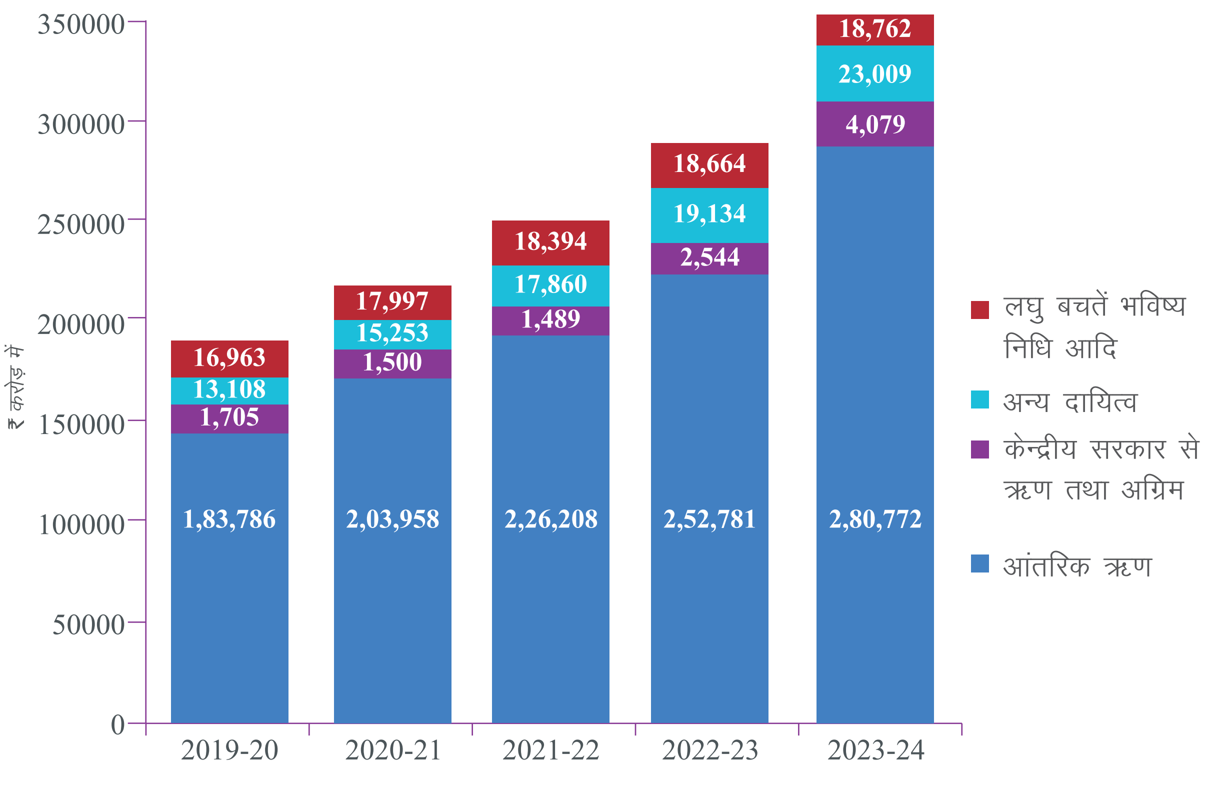

5.3 गारंटियाँ

प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकारें सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों इत्यादि द्वारा विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु, बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की गारंटी भी देती हैं। ये गारंटियां, सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण पूँजी तथा उस पर ब्याज जिनके लिए गारंटी दी गई थी, की अदायगी न कर पाने की स्थिति में राज्य सरकार की समेकित निधि पर उत्तरदायित्व होती है तथा इन गारंटियों को राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विगत पाँच वर्षों की स्थिति नीचे दी गई है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अन्त में	गारंटी की अधिकतम राशि (केवल मूलधन)	वर्ष के अन्त में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2019-20	22,560	20,738*	उपलब्ध नहीं **
2020-21	25,492	23,053*	उपलब्ध नहीं **
2021-22	30,579	24,343*	उपलब्ध नहीं **
2022-23	30,926	23,058*	उपलब्ध नहीं **
2023-24	50,850	24,215*	उपलब्ध नहीं **

*   *मूलधन एवं ब्याज सम्मिलित है।*

** *उपलब्ध नहीं है।*

नोटः विस्तृत विवरण, वित्त लेखे की विवरणी संख्या 20 में उपलब्ध है तथा यह राज्य सरकार, वित्त विभाग से प्राप्त सूचना पर आधारित है।

5.4 राज्य सरकार की बजट से बाहर की देयताएं

बजट से बाहर के कर्जे सरकार का दायित्व है क्योंकि मूलधन और उस पर ब्याज अनिवार्य रूप से राज्य इकाई को सरकारी बजट के माध्यम से सहायता या अनुदान के रूप में दिया जाता है। राज्य सरकार ने अपने वार्षिक बजट में बजट से बाहर की देयताओं का खुलासा नहीं किया है। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को बजट से बाहर की देयताओं की जानकारी शून्य दी गई। हालांकि, 31 मार्च 2024 तक बजट से बाहर की देयताएं ₹ 201.60 करोड़ हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, हरियाणा राज्य सरकार ने हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को बजट से बाहर की उधारी के कारण मूलधन के पुनर्भुगतान तथा ब्याज की अदायगी के लिए सहायता अनुदान के रूप में ₹ 105.39 करोड़ प्रदान किए।

अध्याय-VI

अन्य मदें

6.1 प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष एक ऐसी स्थिति है, जब वित्तीय वर्ष के अन्त में, लेखा शीर्ष जिसके शेष को आगे ले जाना होता है, माइनस शेष दर्शाता है। देयता शीर्ष या शीर्ष जहां समान्य रूप से जमा शेष होना चाहिए के अंतर्गत नामे/ (-) जमा शेष हो तथा परिसम्पत्ति शीर्ष या शीर्ष जहां समान्य रूप से नामे शेष होना चाहिए के अंतर्गत जमा/ (-)नामे शेष हो। लेखा शीर्ष में प्रतिकूल शेष, गलत वर्गीकरण, धन की उपलब्धता से अधिक संवितरण, प्राप्त अंशदान से अधिक व्यय, एक लेखा इकाई से दूसरी में शेषों को आगे न ले जाना, प्रशासनिक पुनर्गठन के कारण राज्यों/ ज्यादा लेखा इकाईयों का गठन, आदि, के कारण होते हैं।

वर्ष 2023-24 में, प्रतिकूल शेष ₹ (-)13.50 करोड़ था जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैः-

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	विवरण	राशि
7610-800-99	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण, अन्य अग्रिम, राज्य सेवा अधिकारियों को गेहूं ऋण (अराजपत्रित)	(-)13.50

6.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम

वर्ष 2023-24 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा कुल ₹ 14,328 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए गए। इनमें से, सरकारी निगमों/ कम्पनियों, स्वायत्त निकाय तथा स्थानीय निकायों को प्रदत्त ऋणों तथा अग्रिमों की राशि ₹ 14,171 करोड़ थी। वर्ष 2023-24 के अन्त मे ₹ 3,229 करोड़ मूलधन की वसूली लम्बित थी। राज्य सरकार द्वारा ब्याज की बकाया राशि की वसूली से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। वर्ष 2023-24 के दौरान, ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली के तौर पर ₹ 301 करोड़ की राशि (विद्युत वितरण कम्पनियों के ₹ 102 करोड़ सहित) प्राप्त हुई, जिसमें से ₹ 75 करोड़ की राशि सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान की है। बकाया ऋणों की वसूली हेतु उठाए जाने वाले प्रभावी कदम, सरकार की राजकोषीय स्थिति को सुधारने में सहायक होंगे ।

6.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों, स्वायत्त-निकायों आदि को दिए गए सहायतानुदानों की राशि वर्ष 2019-20 के ₹ 11,337 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 12,139 करोड़ हो गयी। पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों को दिए गए अनुदान (₹ 5,554 करोड़), वर्ष के दौरान दिए गए सकल अनुदानों का 46 *प्रतिशत* हैं।

विगत पाँच वर्षों में दिए गए सहायतानुदानों का विवरण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	संस्था का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	पंचायती राज संस्थाएं	3,098	3,236	955	1,358	3,063
2	शहरी स्थानीय निकाय	2,279	2,766	3,472	2,542	2,491
3	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1,745	2,108	1,686	..	595
4	स्वायत्त निकाय	4,215	4,902	6,332	7,774	2,034
5	गैर-सरकारी संगठन	..	..	..	..	49
6	सरकारी संस्थाएं	..	..	..	..	2,193
7	विविध	..	..	..	..	1,715
	जोड़	11,337	13,012	12,445	11,674	12,140(क)

(क) वास्तविक कुल सहायतानुदान से ₹ 1 करोड़ का अन्तर पूर्णांकन के कारण है।

प्रदत्त सहायतानुदान

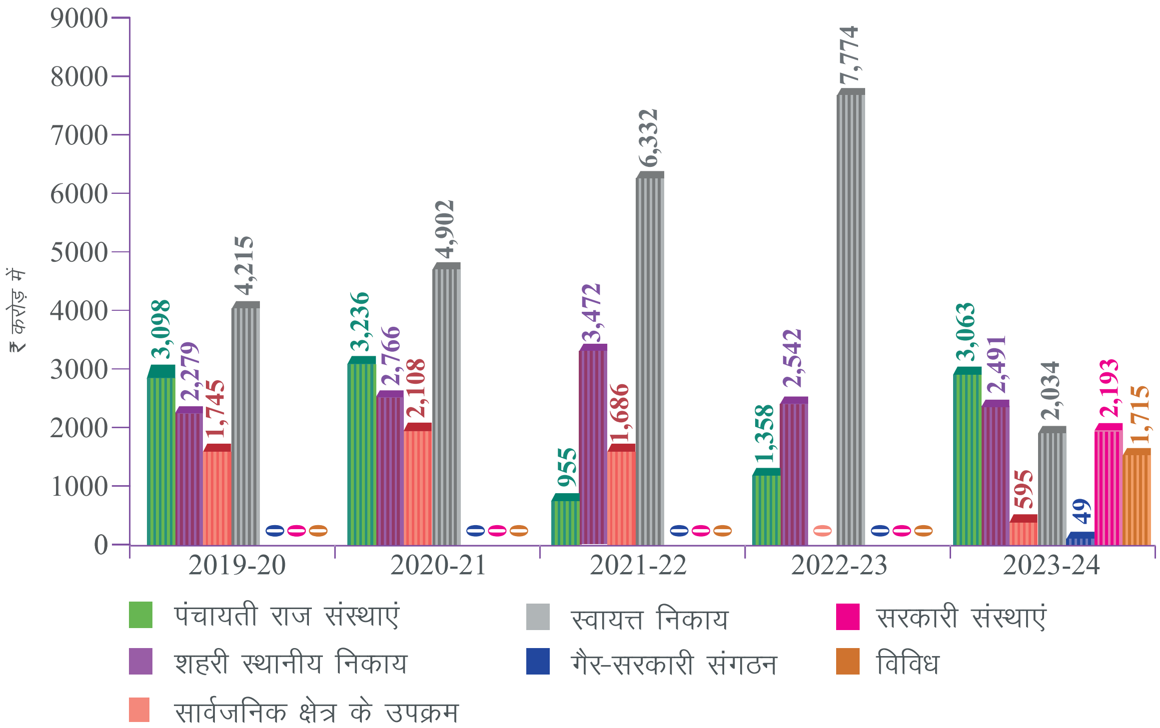

विगत पाँच वर्षों में पूँजीगत सम्पत्तियों के सृजन के लिए आबंटित सहायतानुदानों का विवरण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	संस्था का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	पंचायती राज संस्थाएं	2,991	3,105	868	854	1,919
2	शहरी स्थानीय निकाय	1,387	2,188	2,482	2,113	1,492
3	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	16	21	409	..	411
4	स्वायत्त निकाय	469	395	387	812	491
5	गैर-सरकारी संगठन	..	..	..	..	..
6	सरकारी संस्थाएं	..	..	..	..	18
7	विविध	..	..	..	..	168
	जोड़	4,863	5,709	4,146	3,779	4,499

6.4 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2023 की स्थिति	31 मार्च 2024 की स्थिति	निवल बढ़ौतरी (+) /कमी (-)
रोकड़ शेष	(-) 716	374	1,090
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के खजाना बिल)	1,310	1,273	(-) 37
चिन्हित निधियों के शेष से निवेश	3,236*	3,787	551*
(क) निक्षेप निधि	1,692	2,122	430
(ख) गारंटी विमोचन निधि	1,541	1,663	122
(ग) अन्य निधियाँ	2	2	..
वर्ष के दौरान वसूल ब्याज	4	6	2

** (क+ख+ग) के जोड़ से ₹ 1 करोड़ का अन्तर पूर्णांकन के कारण है।*

31 मार्च 2024 को, राज्य सरकार का रोकड़ शेष सकारात्मक था। रोकड़ शेष के निवेश पर ब्याज प्राप्ति, वर्ष 2022-23 में ₹ 4 करोड़ से 50 प्रतिशत बढ़कर, वर्ष 2023-24 में ₹ 6 करोड़ हो गई।

6.5 प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान

व्यय पर कुशलतापूर्वक नियंत्रण, उसे बजट अनुमान के भीतर रखने एवं अपने लेखों को सही रखने के लिए, सभी नियंत्रक अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा लेखाबद्ध किए गए आंकड़ों के साथ करें। वर्ष के दौरान ₹ 1,01,274.31 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 99.96 *प्रतिशत*) की प्राप्तियों एवं ₹ 1,27,554.33 करोड़ (कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 98.79 *प्रतिशत*) के व्यय का मिलान राज्य सरकार द्वारा किया गया।

6.6 लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों द्वारा लेखों का प्रेषण

वित्त लेखे 2023-24, हरियाणा सरकार के 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की समयावधि के लेन-देन को दर्शाते हैं। हरियाणा सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के लेखों का संकलन 24 कोषालयों, 117 लोक निर्माण (59 भवन तथा सड़कें, 58 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) मण्डलों, 86 सिंचाई मण्डलों, 40 वन मण्डलों, 38 वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के आधार पर किया गया है। लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों से लेखों की प्राप्ति संतोषजनक है एवं वर्ष के अन्त में कोई भी लेखा छोड़ा नहीं गया है।

6.7 असमायोजित सार आकस्मिकता (ए.सी.) बिल

वित्तीय नियमों [पंजाब वित्तीय नियमावली, खंड-। (जोकि हरियाणा राज्य में लागू है) के नियम 2.10(ख) (5)] के अनुसार सरकारी खजाने से कोई धन आहरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण के लिए इसकी आवश्यकता न हो। अप्रत्याशित परिस्थितियों में, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) सार आकस्मिकता (ए.सी.) बिलों के माध्यम से धनराशि आहरित करने के लिए अधिकृत है। पंजाब कोषालय नियमावली (जोकि हरियाणा राज्य में लागू है) के नियम 4.49 के नीचे दी गई टिप्पणी 5 के अनुसार, डी.डी.ओ. को अंतिम व्यय से संबंधित वाउचर युक्त विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकता (डी.सी.सी.) बिल एक महीने के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

31 मार्च 2024 तक, असमायोजित ए.सी. बिलों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	असमायोजित ए. सी. बिल	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2022-23 तक	322	133.33
2023-24	533	236.34
जोड़	**855**	**369.67**

6.8 उचंत तथा प्रेषण शेषों की स्थिति

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। 31 मार्च 2024 को, विभिन्न शीर्षों के अधीन पृथक से लंबित नामे एवं जमा शेषों को जोड़ते हुए, इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष, तीन शीर्षों (8658, 8782 तथा 8793) के अंतर्गत ₹ 317.33 करोड़ (जमा) था।

इन शीर्षों के अंतर्गत, बकाया शेषों का समाशोधन न होना, राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति/व्यय के आंकडों तथा शेषों (जिन्हें वर्ष दर वर्ष आगे ले जाया जाता है) की सार्थकता को प्रभावित करता है।

6.9 सहायता अनुदान के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू. सी.)

पंजाब वित्तीय नियमावली खंड-I (जो कि हरियाणा राज्य में लागू है) के नियम 8.14 के अनुसार, अनुदान प्राप्त करने वाले अधिकारी को प्राप्त सशर्त सहायतानुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) अनुदान प्राप्ति की तिथि से वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीने के भीतर प्राधिकारी जिसने इसे स्वीकृत किया था, को प्रस्तुत करना चाहिए।

31 मार्च 2024 तक बकाया यू.सी. की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष	बकाया यू. सी. की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2022-23 तक	1,699	12,955.81
2023-24	489	4,452.17
जोड़	**2,188**	**17,407.98**

6.10 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.)

01 जनवरी 2006 या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के अंतर्गत आते हैं जो एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत, कर्मचारी अपने मासिक वेतन का 10 *प्रतिशत* अंशदान करता है तथा राज्य सरकार 14 *प्रतिशत* अंशदान दिया जाता है तथा सारी राशि राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा निगमित (एन.एस.डी.एल.)/ अमानती बैंक के माध्यम से मनोनीत निधि प्रबंधक को हस्तांतरित की जाती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, एन.पी.एस. में कुल योगदान ₹ 2,821.55 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान ₹ 1,157.10 करोड़ तथा सरकार का अंशदान ₹ 1,664.45 करोड़) था। सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा निगमित (एन.एस.डी.एल.) के माध्यम से मनोनीत निधि प्रबंधक को ₹ 2,795.76 करोड़ हस्तांतरित किए। ₹ 26.59 करोड़ (पिछले वर्ष के ₹ 0.80 करोड़ सहित) की राशि अभी हस्तांतरित की जानी है, इस प्रकार, सरकार का रोकड़ शेष इस राशि की वजह से अधिक दर्शाया गया है।

6.11 व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खातों को धन का हस्तांतरण

पी.डी. खाते नामित आहरण अधिकारियों को राज्य की समेकित निधि में सेवा शीर्षों को नामे करके तथा मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा एवं लघु शीर्ष 106-व्यक्तिगत जमा के तहत व्यक्तिगत जमा खाते में जमा करके एक योजना से संबंधित विशिष्ट प्रयोजनों हेतु खर्च करने में सक्षम बनाते हैं।

राज्य की समेकित निधि से कोई भी व्यक्तिगत जमा खाता नहीं खोला गया है।

6.12 आरक्षित निधियों की स्थिति

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए 11 आरक्षित निधियाँ रखी गई हैं। इन निधियों में 31 मार्च 2024 के अंत तक कुल संचित शेष ₹ 12,238.55 करोड़ था। इसमें से ₹ 7,905.52 करोड़ ब्याज वाली आरक्षित निधियों के अंतर्गत तथा ₹ 4,333.03 करोड़ बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियों के अंतर्गत था। आरक्षित निधियों का ब्योरा वित्त लेखों की विवरणी 21 तथा 22 में उपलब्ध है।

6.12.1 ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ

6.12.1(क) राज्य आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ.)

राज्य आपदा राहत निधि (मुख्य शीर्ष-'8121 सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों' के अंतर्गत जो कि ब्याज वाले अनुभाग के अंतर्गत आती है) के गठन तथा संचालन पर दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय व राज्य सरकारों को निधि में 75:25 के अनुपात के अनुसार अंशदान देना आवश्यक है। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 433.60 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 144.00 करोड़ बनता है। राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 8121-122 एस.डी.आर.एफ. के अंतर्गत निधि में ₹ 1,118.11 करोड़ (केंद्र का हिस्सा ₹ 433.60 करोड़, राज्य का हिस्सा ₹ 144.00 करोड़, ब्याज ₹ 408.00 करोड़ तथा विभागीय अधिकारियों के पास अव्ययित पड़े ₹ 132.51 करोड़) की राशि हस्तांतरित की गई। निधि से व्यय के रूप में मुख्य शीर्ष 2245 में ₹ 377.56 करोड़ की राशि निर्धारित की गई थी। 31 मार्च 2024 को निधि में अंतिम शेष ₹ 5,737.22 करोड़ थी, हालांकि, निधि से कोई राशि निवेश नहीं की गई है।

6.12.1(ख) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों के अनुपालन में, राज्य सरकारों को क्षतिपूरक वनीकरण करने के लिए उपयोगकर्ता संस्थाओं से प्राप्त धन राशियों के लिए, राज्य के लोक लेखा में ब्याज वाली अनुभाग के अंतर्गत राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि स्थापित करना आवश्यक है।

हालांकि हरियाणा राज्य द्वारा राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि (एस.सी.ए.एफ.) का गठन कर दिया गया है, लेकिन उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि सीधे राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (राष्ट्रीय प्राधिकरण), नई दिल्ली को जमा की जा रही है जोकि समय-समय पर प्रतिपूरक वनरोपण निधि (राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि के तहत जमा) का 90 (नब्बे) प्रतिशत राज्य हिस्सा राज्य सरकार को हस्तांतरित करता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण जमा से ₹ 615.38 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष 2023-24 के दौरान, ब्याज के कारण ₹ 37.26 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। राज्य सरकार ने निधि से ₹ 59.21 करोड़ का व्यय किया। 31 मार्च 2024 तक राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में शेष राशि ₹ 1,559.84 करोड़ थी, हालांकि, निधि से कोई राशि निवेश नहीं की गई थी।

6.12.2 बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ

6.12.2(क) समेकित निक्षेप निधि

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2002 में ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की। निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य गत वर्ष के अंत में अपनी कुल देयताओं (आंतरिक ऋण तथा लोक लेखा) का न्यूनतम 0.5 *प्रतिशत* अंशदान समेकित निक्षेप निधि में कर सकते हैं। वर्ष 2023-24 में, सरकार ने निधि को किए जाने वाले ₹ 1,452.89 करोड़ के अंशदान के मुकाबले केवल ₹ 300.00 करोड़ का अंशदान दिया। 31 मार्च 2024 को निधि का कुल अधिशेष ₹ 2,124.41 करोड़ था। निधि में ₹ 1,152.89 करोड़ का कम अंशदान किया गया है।

6.12.2(ख) गारंटी मोचन निधि

राज्य सरकार ने आर.बी.आई. के संचालन में गारंटी मोचन निधि का गठन किया था। वर्ष 2020-21 से प्रभावी, राज्य सरकार द्वारा जारी निधि अधिसूचना के नवीनतम संशोधन के अनुसार राज्य सरकार, शुरू में गत वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों का न्यूनतम एक *प्रतिशत* तथा उसके बाद 0.5 *प्रतिशत* की दर से अंशदान करेगी ताकि अगले पाँच वर्षों में न्यूनतम तीन *प्रतिशत* के बराबर निधि उपलब्ध हो सके। निधि को धीरे-धीरे पाँच *प्रतिशत* के वांछनीय स्तर तक बढ़ाया जाएगा।

वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकार ने इस निधि में कोई अंशदान नहीं दिया, क्योंकि 31 मार्च 2024 को निधि का कुल अधिशेष ₹ 1,662.80 करोड़ था, जो बकाया गारंटियों का 6.87 *प्रतिशत* है।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ae/haryana/en